



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

प्राप्ति बजट 2021-2022

फरवरी, 2021

वित्त मंत्रालय

बजट प्रभाग

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. परिचायक टिप्पणी	(iii)
भाग क - प्राप्तियां	
2. प्राप्तियों का सार	1
3. कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	
I. कर राजस्व	2-5
II. कर-भिन्न राजस्व	6-12
III. पूंजीगत प्राप्तियां	13-19
अनुबन्ध:	
1. प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	20
2. अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	21
3. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान	22
4. ब.अ. 2021-2022 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	23
4क. सं.अ. 2020-2021 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	24
4ख. वास्तविक 2019-2020 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	25
5. जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	26
6. कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	27
7. केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव: वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21	28-43
8. 31 मार्च, 2021 के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग	44

भाग ख - आस्ति और देयता विवरण

1.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	47
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	48
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	49
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	50-52
	(iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर	53
2.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	54-56
2क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	56
2ख.	मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड	56
2ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	56
2घ.	पोलिफ का प्रतिभूतिकरण	56
2ङ	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	57
2च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	57
2छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	57
2ज-ठ	विभिन्न संस्थाओं को जारी विशेष बांड	57
2ढ-थ	सरकारी क्षेत्र के बैंकों/एग्जिम बैंक/आईडीबीआई बैंक लि. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	58-61
3.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	62-63
4.	वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी	64-66
5.	विदेशी सहायता	67-69
6.	2021-2022 में चुकाने के लिए बकाया बाजार ऋण	70

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में संगठित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के ब्यौरे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ उनका सार दिया गया है। इसमें कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (2021-22), संशोधित अनुमान (2020-2021) और वास्तविक (2019-2020) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण मोटे तौर पर राज्यों को अपने वित्त साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी बहुत सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। वार्षिकी परियोजनाओं, कर-भिन्न राजस्व के बकायों, जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण एफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अंतर्गत अधिदेशित हैं। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये विवरण सरकार की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

2019-20 के वास्तविक आंकड़े अनंतिम हैं।

प्राप्तियों का सार

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	संशोधित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
राजस्व प्राप्तियां				
1. कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	2010059.33	2423020.00	1900279.83	2217059.27
निगम कर	556875.55	681000.00	446000.00	547000.00
आय कर	492653.71	638000.00	459000.00	561000.00
धन कर	19.81
सीमा शुल्क	109282.54	138000.00	112000.00	136000.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	240614.52	267000.00	361000.00	335000.00
सेवा कर	6029.11	1020.00	1400.00	1000.00
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	598748.90	690500.00	515100.00	630000.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	5835.19	7500.00	5779.83	7059.27
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	2480.00	2930.00	5820.00	6100.00
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	650677.05	784180.87	549959.19	665562.74
केन्द्र का निवल कर राजस्व	1356902.28	1635909.13	1344500.64	1545396.53
2. कर-भिन्न राजस्व				
ब्याज प्राप्तियां	12348.98	11042.04	14004.66	11541.17
लाभांश तथा लाभ	186132.54	155395.47	96543.54	103538.42
अन्य कर-भिन्न राजस्व	126913.44	216277.23	98023.70	125417.67
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1761.81	2302.56	2080.63	2530.64
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	327156.77	385017.30	210652.53	243027.90
1. जोड़ राजस्व प्राप्तियां	1684059.05	2020926.43	1555153.17	1788424.43
3. पूंजी प्राप्तियां				
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	18316.15	14966.67	14497.00	13000.00
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	50304.33	210000.00	32000.00	175000.00
जोड़	68620.48	224966.67	46497.00	188000.00
ख. ऋण प्राप्तियां				
1. बाजार ऋण (निवल)	473967.88	540869.62	1048788.18	917707.72
2. अदायगी के लिए बाजार ऋण	236032.12	239130.38	231211.82	287792.28
3. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण	0.00	30000.00	0.00	0.00
4. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	164821.53	270000.00	160000.00	180000.00
5. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-164803.30	-270000.00	-160000.00	-180000.00
6. बाजार ऋण (सकल) (1+2)*	710000.00	780000.00	1280000.00	1205500.00
7. अल्पावधिक/स. हुंडी उधार	150103.04	25000.00	225000.00	50000.00
8. विदेशी ऋण (निवल)	8682.32	4621.65	54522.23	1514.23
9. अल्प बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	240000.00	240000.00	480573.89	391927.01
10. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	11635.33	18000.00	18000.00	20000.00
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)^	44273.85	50848.54	39128.84	54280.18
12. निवल ऋण प्राप्तियां	933651.00	796337.00	1848655.00	1506812.00
II. निवल पूंजी प्राप्तियां	997300.53	1074306.48	1912510.24	1623428.35
4. नकदी शेष में आहरण से कमी	4970.35	-53002.81	-17358.14	71382.86
जोड़ प्राप्तियां (I+II)	2681359.58	3095232.91	3467663.41	3411852.78

* इसमें जीसटी, प्रतिपूर्ति उपकरणों के बदले बैंक-टू-बैंक आधार पर ऋणों के रूप में राज्यों से की गई 1,10,208 करोड़ रु. की उधारी शामिल नहीं है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण शामिल हैं।

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि और अग्रिम आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

कर राजस्व

कर राजस्व			वास्तविक	बजट	संशोधित	(₹ करोड़)
		मुख्य शीर्ष	2019-2020	2020-2021	2020-2021	बजट 2021-2022
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	462842.68	589326.92	385961.53	473365.39
1.02.	अधिभार	0020	19054.14	65480.77	42884.62	52596.15
1.03.	शिक्षा उपकर/स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	20888.00	26192.31	17153.85	21038.46
1.04.	शास्तियां	0020	139.17
1.05.	व्याज वसूलियां	0020	1955.43
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	50399.38
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	1201.71
1.08.	विविध प्राप्ति	0020	395.04
जोड़-निगम कर			556875.55	681000.00	446000.00	547000.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	453408.71	540865.38	386826.92	474663.47
2.02.	अधिभार	0021	5236.92	60096.16	42980.77	52740.38
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	18243.10	24038.46	17192.31	21096.15
2.04.	शास्तियां	0021	424.63
2.05.	व्याज वसूलियां	0021	2704.60
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	4.37
2.07.	विविध प्राप्ति	0021	325.81
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	12374.23	13000.00	12000.00	12500.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	1.26
2.11.	व्याज कर	0024	2.09
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-135.27
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर					
2.13.01.	व्यय कर	0028	13.18
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	45.95
2.13.03.	अन्य प्राप्ति	0028	0.01
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			59.14
2.14.	कृषि कल्याण उपकर	0028	4.12
जोड़-आय पर कर			492653.71	638000.00	459000.00	561000.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	1.70
3.02.	धन पर कर	0032	18.11
जोड़-संपदा कर			19.81
4. सीमा शुल्क						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	90597.75	124000.00	88884.00	97950.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	0.19	...	1140.00	...
4.01.03.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	545.00	930.00	820.00	850.00
4.01.04.	शिक्षा उपकर	0037	51.91
4.01.05.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	13.62
4.01.06.	समाज कल्याण अधिभार	0037	8251.12	10200.00	13500.00	14800.00
4.01.07.	स्वास्थ्य कर	0037	660.00	800.00
4.01.08.	आरओडीटीईपी लेजर में नामे के माध्यम से	0037	13000.00
जोड़-आयात शुल्क			99459.59	135130.00	105004.00	127400.00
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	-976.64	220.00	-804.00	100.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	5759.14	1600.00	3200.00	3500.00

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022	
4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	1245.46	1050.00	4600.00	5000.00
4.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	65.66
4.06.	जन्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	827.15
4.07.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	1065.47
4.08.	सुरक्षा शुल्क	0037	1732.72
4.09.	स्वर्ण पर सीमा शुल्क	0037	101.58
4.10.	सड़क और अवसंरचना उपकर	0037	2.41
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>109282.54</i>	<i>138000.00</i>	<i>112000.00</i>	<i>136000.00</i>
5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क						
5.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	61779.31	82390.00	47750.00	47500.00
5.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	14827.30
5.03.	हार्ड स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	40668.72
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	1935.00	2000.00	5000.00	5250.00
5.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	38186.75	40500.00	74350.00	74350.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	0.10
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	16.58
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	8.08
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	14062.48	16500.00	9900.00	9900.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	0.02
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	3.50
5.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	1.08
5.07.07.	अन्य	0038	0.02
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	24.56
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	0.94
5.07.10.	मोटर स्प्रिट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर सीमा शुल्क	0038	67371.33	125610.00	224000.00	198000.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>81488.59</i>	<i>142110.00</i>	<i>233900.00</i>	<i>207900.00</i>
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	रबड़	0038	0.02
5.08.02.	जूट	0038	2.18
5.08.03.	चाय	0038	0.11
5.08.04.	तेल और तिलहन	0038	14.78
5.08.05.	कपास	0038	-0.01
5.08.06.	तंबाकू	0038	0.03
5.08.07.	कागज	0038	0.07
<i>जोड़-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>17.18</i>
5.09.	उत्पाद कर के सहवर्ती शुल्क	0038	-28.85
5.10.	विशेष उत्पाद कर	0038	1088.75
5.11.	जनन विद्युत पर उत्पाद शुल्क	0038	0.95
5.12.	कपड़ा और कपड़े के बने वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	4.61
5.13.	खनिज उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	0.50
5.14.	बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-775.42
5.15.	टीवी सेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	-0.46
5.16.	अन्य शुल्क	0038	89.17
5.17.	जन्त वस्तुओं की बिक्री	0038	0.63

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022	
5.18.	विविध प्राप्तियां	0038	169.60
जोड़-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			239452.43	267000.00	361000.00	335000.00
6.	सेवा कर					
6.01.	संग्रहण	0044	5929.40	1020.00	1400.00	1000.00
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	12.99
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	6.27
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	46.63
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	36.00
6.06.	अन्य प्राप्तियां	0044	-2.18
जोड़-सेवा कर			6029.11	1020.00	1400.00	1000.00
7.	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)					
7.01.	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीटीएसटी)	0005	494070.60	580000.00	431000.00	530000.00
7.02.	समेकित वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	0008	9125.21
7.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	95553.09	110500.00	84100.00	100000.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			598748.90	690500.00	515100.00	630000.00
8.	जिसों एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क					
8.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
8.02.	अन्य कर	0045	1162.09
जोड़-जिसों एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			1162.09
9.	संघ राज्य क्षेत्रों के कर					
9.01.	भू राजस्व	0710	17.27	43.21	32.18	36.41
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	298.78	315.67	321.49	381.54
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	1135.53	1420.03	1291.06	1555.03
9.04.	बिक्री कर	0710	1077.90	1589.95	1138.45	1342.79
9.05.	वाहनों पर कर	0710	231.48	327.27	248.27	333.09
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	12.93	21.25	6.25	25.25
9.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	26.30	55.00	22.63	58.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	0.02	727.62	0.01	0.03
9.09.	संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	3034.98	3000.00	2719.49	3327.13
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			5835.19	7500.00	5779.83	7059.27
10.	घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी					
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-545.00	-930.00	-820.00	-850.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-1935.00	-2000.00	-5000.00	-5250.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-2480.00	-2930.00	-5820.00	-6100.00
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-650677.05	-784180.87	-549988.35	-665562.74
12.	घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	29.16	...
जोड़-कर राजस्व			1356902.28	1635909.13	1344500.64	1545396.53
कुल जोड़			1356902.28	1635909.13	1344500.64	1545396.53

1. निगम कर : यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2020-2021 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 6,81,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 4,46,000.00 करोड़ रुपए है। 2021-2022 का बजट अनुमान 5,47,000.00 करोड़ रुपए है।

2. आय पर कर : यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2020-2021 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 6,38,000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले 4,59,000.00 करोड़ रुपए है। 2021-2022 के लिए बजट अनुमान 5,61,000.00 करोड़ रुपए है।

"वित्त वर्ष 2018-19 से आयकर (अधिभार सहित) के @4% पर 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर' लगाया जाता है।

- 3. सम्पत्ति कर :** सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों पर लगाया जाता है। 2019-20 के लिए सम्पत्ति कर का वास्तविक संग्रहण रु. 19.81 करोड़ था। यह कर 2016-17 से दिया गया है।
- 4. सीमा शुल्क :** 2020-2021 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. 1,12,000.00 करोड़ रुपए है जबकि ब.अ. 1,38,000.00 करोड़ रुपए हैं। 2021-2022 के लिए बजट अनुमान 1,36,000.00 करोड़ रुपए है।
- 4.01.01. बुनियादी शुल्क :** सीमा शुल्क का बुनियादी शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर उग्रहणीय है।
- 4.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीडीडी) :** सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।
- 4.01.03. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** वित्त अधिनियम, 2001 के जरिए राष्ट्रीय कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर और वित्त अधिनियम, 2003 के जरिए कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। अन्य वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित कर दिया गया है।
- 4.01.07. स्वास्थ्य उपकर :** यह कतिपय मेडिकल उपकरणों पर सीमा शुल्क के रूप में अधिशोषित उपकर है।
- 4.01.08. आरओडीटीईपी लेजर में नामे के माध्यम से :** नियंत्रित उत्पादों पर शुल्क एवं कर माफी योजना (आरओडीटीईपी) का उद्देश्य निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण वितरण की प्रक्रिया में केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर उपगत करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति करना है। प्रतिपूर्त धनराशि निर्यातक के लेजर खाते में सीमाशुल्क ईडीआई में जमा (क्रेडिट) कर दी जाएगी। इस क्रेडिट का लेजर से नामे करते कार्यान्वित वस्तुओं पर बुनियादी सीमाशुल्क की क्षतिपूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- 4.02. निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।
- 5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :** 2020-2021 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान 3,61,000.00 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 2,67,000 करोड़ रुपए है। 2021-2022 के लिए ब.अ. 3,35,000.00 करोड़ रुपए है।
- 5.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। यह शुल्क 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी (सिवाय पेट्रोलियम उत्पादों के जो जीएसटी के बाहर हैं) के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है।
- 5.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** मोटर स्पिरिट पर उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। यह सड़क के अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- 5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क:** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, वित्त विधेयक, 2001 के तहत कतिपय विनिर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों पर लगाया जाता है। अन्य मर्दों पर यह शुल्क 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। :
- 5.05. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
- 5.07.10. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल पर उत्पाद शुल्क (सड़क एवं अवसंरचना उपकर) :** यह शुल्क सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल ऑयल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के द्वारा लगाया जाता है। मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
- 6. सेवा कर :** सेवा कर की लेवी 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत 2020-21 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) 1,400 करोड़ रुपये है जबकि बजट अनुमान 1,020 करोड़ रुपए है। 2021-22 के लिए सेवा कर अवशिष्ट (बकाया) के लिए बजट अनुमान 1,000 करोड़ रुपये है।
- 7. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी):** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया है। जीएसटी मानव उपभोग के अल्कोहलयुक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीजीएसटी का संशोधित अनुमान 4,31,000 करोड़ रुपए जबकि ब.अ. 5,80,000 करोड़ रुपए है। 2021-22 के लिए सीजीएसटी का बजट अनुमान 5,30,000 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के प्रति-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यधीन है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के संबंध में सं.अ. 2020-21 और ब.अ. 2021-22 क्रमशः 84,100 करोड़ रुपये और 1,00,000 करोड़ रुपये है।

कर-भिन्न राजस्व

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ						
1. ब्याज प्राप्तियां						
1.01.	राज्य	0049	7658.15	5313.20	3948.64	3813.15
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल युक्त)	0049	37.85	60.02	59.02	59.02
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	49254.78	31968.82	51384.16	46613.47
1.03.01.	घटाइए -व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-44601.80	-26300.00	-41387.16	-38944.47
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>			<i>12348.98</i>	<i>11042.04</i>	<i>14004.66</i>	<i>11541.17</i>
2. लाभांश और लाभ						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	35543.09	65746.96	34717.25	50027.81
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष लाभ	0050	150589.45	89648.51	61826.29	53510.61
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>			<i>186132.54</i>	<i>155395.47</i>	<i>96543.54</i>	<i>103538.42</i>
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ			198481.52	166437.51	110548.20	115079.59
राजकोषीय सेवाएं						
3. राजकोषीय सेवाएं						
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	659.98	560.00	560.00	616.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	381.08	190.80	29.65	85.90
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>			<i>1041.06</i>	<i>750.80</i>	<i>589.65</i>	<i>701.90</i>
जोड़-राजकोषीय सेवाएं सामान्य सेवाएं			1041.06	750.80	589.65	701.90
4. सामान्य सेवाएं						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	89.64	92.00	90.50	97.50
4.01.02.	पुलिस	0055	9021.55	9260.75	8355.75	9913.75
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	23.41	15.59	10.76	10.68
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	476.90	595.03	429.33	429.33
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	5947.16	7246.91	3339.71	5921.56
4.01.07.	कारागार	0056	0.06
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>			<i>15558.72</i>	<i>17210.28</i>	<i>12226.05</i>	<i>16372.82</i>
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1335.48	2609.98	2162.74	2409.48
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>			<i>1335.48</i>	<i>1609.98</i>	<i>1162.74</i>	<i>1409.48</i>
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	21225.89	23008.56	20977.30	22841.57
4.03.02.	घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-17812.01	-20208.00	-18100.00	-19900.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>			<i>3413.88</i>	<i>2800.56</i>	<i>2877.30</i>	<i>2941.57</i>
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	3288.00	3616.40	3969.36	4102.78
4.04.01.01.	प्राप्तियां घटाइए	0076	-3288.00	-3616.40	-3969.36	-4102.78
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	700.38	600.00	1600.00	700.00
4.04.02.01.	प्राप्तियां घटाइए	0077	-700.38	-600.00	-1600.00	-700.00

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
निवल		
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1404.18	1300.00	1700.00	1300.00
4.04.03.01.	प्राप्तियां घटाइए	0078	-1404.18	-1300.00	-1700.00	-1300.00
निवल		
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	1928.50	3233.08	2794.37	2276.40
4.04.04.01.	प्राप्तियां घटाइए	0079	-1928.50	-3233.08	-2794.37	-2276.40
निवल		
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	404.07	300.00	300.00	300.00
4.04.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0080	-404.07	-300.00	-300.00	-300.00
निवल		
निवल-रक्षा सेवाएं		
निवल-सामान्य सेवाएं			20308.08	21620.82	16266.09	20723.87
जोड़-सामान्य सेवाएं			20308.08	21620.82	16266.09	20723.87
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं						
5. सामाजिक सेवाएं						
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	365.45	406.64	79.91	167.50
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	972.24	896.25	1021.54	1054.46
5.03.	परिवार कल्याण	0211	34.92	17.12	6.03	15.06
5.04.	आवासन	0216	329.73	333.31	256.59	330.71
5.05.	शहरी विकास	0217
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	53.23	47.55	37.91	44.55
5.07.	प्रसारण	0221	912.63	1962.25	1639.95	1164.75
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	508.07	604.83	102.98	103.56
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	2.25	0.64	0.53	0.49
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	225.68
5.10.01.	घटाइए-प्राप्तियां	0250
5.11.	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	0215
निवल-सामाजिक सेवाएं			3404.20	4268.59	3145.44	2881.08
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं			3404.20	4268.59	3145.44	2881.08
आर्थिक सेवाएं						
6. आर्थिक सेवाएं						
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	514.33	623.90	523.05	523.05
6.01.02.	पशुपालन	0403	24.45	25.91	20.45	20.70
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	356.11	415.40	361.50	390.20
6.01.03.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-354.76	-415.00	-361.50	-498.00
निवल			1.35	0.40	...	-107.80
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.28	4.21	2.35	2.35
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	46.54	52.38	38.06	40.45
6.01.05.01.	प्राप्तियां घटाइए	0406	-8.07	-9.78	...	-5.00
निवल			38.47	42.60	38.06	35.45
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	541.77	660.25	600.27	660.30
6.01.06.01.	प्राप्तियां घटाइए	0408
निवल			541.77	660.25	600.27	660.30
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	22.47	19.50	25.08	24.08
6.01.09.	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	0552	3.13
निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप			1149.25	1376.77	1209.26	1158.13

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	24.20	42.00	40.00	42.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	3.39	2.50	2.60	2.80
	जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		27.59	44.50	42.60	44.80
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	2350.86	3681.20	3471.21	3846.62
6.03.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन माल सूची	0801	-615.09	-2534.97	-2534.97	-2753.55
	निवल		1735.77	1146.23	936.24	1093.07
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	11841.14	14075.14	8621.00	10231.00
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	-2.65	3203.85	3197.85	3197.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	0.04	0.06	0.06	0.06
	निवल-ऊर्जा		13574.30	18425.28	12755.15	14521.98
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	33.51	25.83	35.93	35.93
6.04.02.	उद्योग	0852	1948.50	3411.39	3312.54	4064.24
6.04.02.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - ईंधन फैब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-1662.51	-2977.95	-2977.95	-3693.36
6.04.02.03.	सेक्टर में अन्य प्राप्तियां घटाइए	0852
	निवल		285.99	433.44	334.59	370.88
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	707.98	510.92	417.69	471.45
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	195.27	150.00	200.00	200.00
6.04.04.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-195.27	-150.00	-200.00	-200.00
	निवल	
	निवल-उद्योग और खनिज		1027.48	970.19	788.21	878.26
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	330.37	320.00	350.00	340.00
6.05.01.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	1051	-316.95	-320.00	-350.00	-340.00
	निवल		13.42
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	86.36	142.15	142.18	142.18
6.05.03.	नागर विमानन	1053	258.66	473.05	55.24	75.30
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	10394.38	25160.66	22410.00	23310.00
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	13558.20	18710.05	12330.05	17710.05
6.05.06.01.	वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां घटाइए - डाक	1201	-13558.20	-18710.05	-12330.05	-17710.05
	निवल	
6.05.08.	सड़क परिवहन	1055
	निवल-परिवहन		10752.82	25775.86	22607.42	23527.48
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	69846.43	133027.20	33737.00	53986.72
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	96.59	99.14	90.07	84.31
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1331.74	1547.28	1206.03	1325.58
	जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		1428.33	1646.42	1296.10	1409.89
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	356.31	344.87	344.88	357.40
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3600.79	7208.81	3813.00	4472.00

		(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022
6.08.02.02.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	0515	11.69
	जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		3612.48	7208.81	3813.00
6.08.03.	पर्यटन	1452	11.63	5.00	7.10
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.51	0.12	0.05
	जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं		3980.93	7558.80	4165.03
	निवल-आर्थिक सेवाएं		101787.13	188825.02	76600.77
7. रेल राजस्व					
7.01.	भारतीय रेलवे विविध प्राप्ति	1001	338.09	300.00	300.00
7.01.01.	घटाइए विविध प्राप्ति	1001	-338.09	-300.00	-300.00
7.02.	भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	172258.50	223397.37	144093.37
7.02.01.	घटाइए प्राप्ति	1002	-172258.50	-223397.37	-144093.37
7.03.	भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2098.10	2215.63	2215.63
7.03.01.	घटाइए प्राप्ति	1003	-2098.10	-2215.63	-2215.63
	निवल- रेल राजस्व	
	जोड़-आर्थिक सेवाएं		101787.13	188825.02	76600.77
सहायता-अनुदान तथा अंशदान					
8. सहायता अनुदान और अंशदान					
8.01.	बाह्य अनुदान सहायता				
8.01.01.	बहुपक्षीय				
8.01.01.01.	एशियाई विकास बैंक	1605	12.12	10.00	11.00
8.01.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि निधि	1605	...	10.00	...
8.01.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	70.84	35.00	74.00
8.01.01.04.	यूरोपीयन यूनियन	1605
	जोड़-बहुपक्षीय		82.96	55.00	85.00
8.01.02.	द्विपक्षीय				
8.01.02.01.	फ्रांस	1605	0.46	...	1.00
8.01.02.02.	जर्मनी	1605	15.76	10.00	12.00
8.01.02.03.	जापान	1605	...	25.00	38.00
	जोड़-द्विपक्षीय		16.22	35.00	51.00
8.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय निकाय				
8.01.03.01.	वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	257.22	300.00	506.00
8.01.03.02.	यूएनडीपी	1605	11.57	10.00	29.00
	जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय		268.79	310.00	535.00
	जोड़-बाह्य अनुदान सहायता		367.97	400.00	671.00
8.02.	सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	5.00	412.00	750.75
	जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		372.97	812.00	1421.75
	जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		372.97	812.00	1421.75
संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व					
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व					
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व	1710	1761.81	2302.56	2080.63
	कुल जोड़		327156.77	385017.30	210652.53
					243027.90

1.1. राज्य : राज्यों को अवमुक्त ऋणों पर ब्याज प्राप्ति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पर ब्याज सम्मिलित हैं :

- (क) गैर-योजना स्कीम (बाह्य नियंत्रण) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को विभिन्न समयावधियों के दौरान संवितरित ऋण।
- (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों पर, जिन्हें अब ब्याज के एकसमान दर पर नियत कर दिया जाता है, संवितरित पुराने ऋण।
- (ग) राज्य योजना स्कीमों की सहायता के लिए 20 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले संवितरित ऋण।
- (घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इसमें एकमुश्त ऋण, अन्य देशों से पुनर्वास-स्वदेश प्रत्यावर्तन और संसाधनों में कमी को दूर करने के लिए ऋण भी सम्मिलित हैं।

- 1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल युक्त) :** संघ राज्यक्षेत्रों (विधानमंडल युक्त) को ऋणों पर ब्याज।
- 1.3. अन्य ब्याज प्राप्ति:** "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों पर ब्याज और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में हैं। अनुमानों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्थोपाय ऋणों पर देय ब्याज भी शामिल हैं।
- 2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त पारिश्रमिक, आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्कों इत्यादि संबंधित हैं।
- 4.01.02. पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्ति राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षों को दिए गए केन्द्रीय पुलिस बलों के कारण हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।
- 4.01.03. आपूर्ति और निपटान :** "आपूर्ति और निपटान" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.04. लेखन सामग्री तथा मुद्रण :** "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्ति सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं :** "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं बीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।
- 4.03.02. घटा - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति:** कैंटीन स्टोर विभाग : वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति कैंटीन स्टोर्स विभाग (सीएसडी) के माध्यम से प्रदत्त रक्षा सेवाओं से संबंधित है: जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्यिक विभागों के निवल व्यय के अंतर्गत आती है।
- 5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार :** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्ति में रोजगार समाचार तथा अन्य प्रकाशनों से प्राप्ति, फिल्म प्रभाग निदेशालय और आउटरीच और संचार ब्यूरो (तत्कालीन डीएवीपी) से प्राप्ति शामिल हैं।
- 5.07. प्रसारण :** डीटीएच प्रचालकों, वाणिज्यिक सेवाओं, (टी.वी.), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) से लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति तथा अन्य प्राप्ति।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। विदेशी देशों और संगठनों से अनुदान के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

6.03. ऊर्जा: इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

6.03.01 "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।

6.03.02 "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) खनिज तेल पर रायल्टी आयल फील (विनियमन और विकास अधिनियम, 1948) की धारा 6क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा विनियमित है। पी एंड एनजी नियमावली 1959 के नियम 14 के अंतर्गत, रायल्टी कच्चे तेल, कैंडिसेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर देय है। तटीय क्षेत्र से उत्पादन पर रायल्टी संबंधित राज्य सरकार तथा अपतटीय क्षेत्र से उत्पादन पर केन्द्रीय सरकार को देय है। किसी खनिज तेल के संबंध में रायल्टी की दर जिसमें कच्चा तेल शामिल है, आयल फिल्डों अथवा वेलहेडर जैसा भी मामला हो पर खनिज तेल के बिक्री मूल्य से 20.1 से अधिक नहीं होगी।

(ख) लाभ पेट्रोलियम : लाभ पेट्रोलियम का अर्थ लागत पेट्रोलियम और परिगणित तथा संगत करार/संविदा के अर्थों में सरकार के साथ बांटी गई लागत को घटाकर उस विशेष अवधि के दौरान उत्पादित पेट्रोलियम तथा संपर्क क्षेत्रों से बचाया गया कुल मूल्य है। कोई पेट्रोलियम भाग राष्ट्रीय तेल कंपनियों को दिया गया नामांकन ब्लाकों के लिए देय नहीं है।

(ग) पेट्रोलियम खोज लाइसेंस खोज शुल्क (पीईएल) : (i) पीईएल शुल्क किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज करने के संबंध में अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार को प्रतिफल स्वरूप किसी लाइसेंस प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः क्षेत्र तथा लाइसेंस की अवधि से जुड़ा हुआ होता है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार लाइसेंस द्वारा देय होता है। (ii) तटीय क्षेत्रों के मामले में पीईएल शुल्क संबंधित राज्य सरकार को तथा अपतटीय क्षेत्र के मामलों में केन्द्र सरकार को जाता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : पीएलपी का अर्थ कोल वेड मिथेन ब्लाक में संगत संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार के लिए किए जाने वाले भुगतान हैं।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती हैं।

6.04.02. उद्योग: उद्योगों के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहीत लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों की मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं : अन्य संचार सेवाओं के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः टेलिकॉम ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्कों और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियों के संबंधित है। संचार विभाग इसके द्वारा लाइसेंस दिए गए विभिन्न टेलिकॉम सेवा प्रदाओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क संग्रहीत करता है। लाइसेंस शुल्क पब्लिक स्वीचड टेलिकॉम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभारों पात्र/हकदार सेवा प्रदाओं पर लगाए गए रोमिंग प्रभारों और बिक्री कर/कंपनी के लेखा परिहित खातों में दर्शाए गए अपने कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए सेवा कर जैसी अनुमत कटौतियों के पश्चात् समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8% की दर से वसुला जाता है।

केप्टिव उपयोग और केप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रेकिंग सेवा (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए दिए गए टेलिकॉम नेटवर्क लाइसेंस के लिए, लाइसेंस शुल्क निर्धारित दरों पर टर्मिनलों/चैनलों की संख्या और अथवा नेटवर्क पूंजीगत लागत पर निर्भर करते हुए वसुली जाती है। इसके अतिरिक्त, नए ऑपरेटरों से एकवारगी प्रवेश शुल्क भी संग्रहीत किया जाता है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणियों में (i) मूल सेवा, (ii) सेलुलर मोबाइल टेलिफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) यूनिफाइड एक्सस सर्विस (यूएसएस), (iv) यूनिफाइड लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लॉग डिस्टेंस (आईएलडी), (vi) नेशनल लॉग डिस्टेंस (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सर्विस प्रदाता (आईएसपी), (viii) कार्माशियल सीयूजी की सेट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोड्यूल रेडियो ट्रंक सेवाएं (पीएमआरवीएस), (x) केप्टिव मोड्यूल रेडियो ट्रंक सेवाएं (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपी सी एस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री।

लाइसेंस शुल्क टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत हिस्से के आधार पर संग्रहीत किया जाता है, जिसमें यूनीवर्सल एक्सस लेवी (यूएएल) का एक घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण देश में टेलिकॉम सेवा क्षेत्र की लाइसेंस शुल्क, प्रशुल्क और वृद्धि की दर पर निर्भर करता है।

विभाग वायरलेस उपकरण के रखने के लिए लाइसेंस शुल्क और विभिन्न संगठनों से रेडियो स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए रायल्टी भी एकत्रित करता है। सेवा प्रदाओं से वसुले गए प्रभारों को सामान्यतः स्पेक्ट्रम प्रभारों के नाम से जाना जाता है और यह या तो उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस) सौंपे गए स्पेक्ट्रम की मात्रा अथवा समान दरों पर या फार्मुले के आधार पर निर्धारित करते हुए उनके समायोजित एकल राजस्व के एक प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल, कार्मिशियल पी सी सेट इत्यादी) से वसुले जाते हैं और उनके नेटवर्क के लिए सौंपी गई मात्रा पर निर्भर करते हुए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किये जाते हैं।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व : रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में i) विविध प्राप्तियाँ ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों का कर-भिन्न राजस्व : (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

पूंजी प्राप्तियां

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
ऋण भिन्न प्राप्तियां					
1. ऋण और अग्रिमों की वसूलियां					
1.01.	राज्य सरकारें				
1.01.01.	सकल प्राप्तियां	7601	15550.89	12399.34	8957.13
1.01.02.	वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00
	<i>निवल-राज्य सरकारें</i>		<i>15550.89</i>	<i>12299.34</i>	<i>8857.13</i>
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	72.00	100.00	100.00
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	132.76	46.00	283.70
1.04.	अन्य ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)				
1.04.01.	सकल प्राप्तियां	9001	2891.53	53796.34	16656.17
1.04.02.	वसूलियां	9001	-331.03	-51275.01	-11400.00
	<i>निवल-अन्य ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>		<i>2560.50</i>	<i>2521.33</i>	<i>5256.17</i>
	<i>निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियां</i>		<i>18316.15</i>	<i>14966.67</i>	<i>14497.00</i>
2. विविध पूंजी प्राप्तियां					
2.01.	विनिवेश प्राप्तियां	4000	50304.33	120000.00	...
2.02.	सरकारी क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकारी अंश का विनिवेश	4000	...	90000.00	32000.00
2.03.	एएमसी के पास राशियों को पुनरांकित करना	4000
2.04.	बोनस शेयर निर्गम	4000	44.96
2.05.	बोनस शेयर सहित प्राप्तियां	4000	-44.96
	<i>निवल-विविध पूंजी प्राप्तियां</i>		<i>50304.33</i>	<i>210000.00</i>	<i>32000.00</i>
3. भारतीय आकस्मिकता निधि					
3.01.	प्राप्तियां	8000	29500.00
3.02.	निवल अंतरण	8000	-29500.00
	<i>निवल- भारतीय आकस्मिकता निधि</i>	
जोड़-ऋण भिन्न प्राप्तियां					
ऋण प्राप्तियां			68620.48	224966.67	46497.00
4. उधार					
4.01.	बाजार ऋण				
4.01.01.	सकल उधार	6001	710000.00	780000.00	1280000.00
4.01.02.	वापसी अदायगी	6001	-236032.12	-235130.38	-227211.82
	<i>निवल-बाजार ऋण</i>		<i>473967.88</i>	<i>544869.62</i>	<i>1052788.18</i>
4.02.	प्रतिभूतियों का अंतरण				
4.02.01.	सकल उधार	6001	164821.53	270000.00	160000.00
4.02.02.	वापसी अदायगी	6001	-164803.30	-270000.00	-160000.00
	<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>		<i>18.23</i>
4.03.	वापसी खरीद				
4.03.01.	सकल उधार	6001
4.03.02.	वापसी अदायगी	6001	...	-30000.00	...
	<i>निवल-वापसी खरीद</i>		...	<i>-30000.00</i>	...
4.04.	जीएसटी की उपकर की कमी को पूरा करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार				
4.04.01.	सकल उधार	6001	110208.00
4.04.02.	घटाए निवल प्राप्ति	6001	-110208.00
	<i>निवल-जीएसटी की उपकर की कमी को पूरा करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार</i>	
4.05.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना				
4.05.01.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	6001	65443.00	0.01	20000.00
4.05.02.	घटाइए प्राप्तियां	6001	-65443.00	-0.01	-20000.00
	<i>निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>	

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
4.06.	एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूति जारी करना					
4.06.01.	प्रतिभूति का निर्गम	6001	550.00
4.06.02.	घटाइए प्राप्ति	6001	-550.00
	<i>निवल-एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>	
4.07.	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गमन					
4.07.01.	प्रतिभूति का निर्गम	6001	4557.00
4.07.02.	घटाइए प्राप्ति	6001	-4557.00
	<i>निवल-आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गमन</i>	
4.08.	आईआईएफसीएल को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गमन					
4.08.01.	प्रतिभूति का निर्गम	6001	5297.60	10000.00	...	0.01
4.08.02.	घटाइए प्राप्ति	6001	-5297.60	-10000.00	...	-0.01
	<i>निवल-आईआईएफसीएल को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गमन</i>	
4.09.	डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)					
4.09.01.	01-प्राप्ति	6001
4.09.02.	02-पुनर्भुगतान	6001	...	-4000.00	-4000.00	-7000.00
	<i>निवल-डाकघर जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ)</i>		...	-4000.00	-4000.00	-7000.00
4.10.	अल्पकालिक उधार					
4.10.01.	14 दिवसीय राजकोषीय ढंडियां					
4.10.01.01.	सकल उधार	6001	3355188.43	3851003.73	3690707.27	3604159.92
4.10.01.02.	पुनर्भुगतान	6001	-3322613.11	-3851003.73	-3690707.27	-3604159.92
	<i>निवल</i>		32575.32
4.10.02.	91 दिवसीय राजकोषीय ढंडियां					
4.10.02.01.	सकल उधार	6001	639472.68	662435.37	735339.51	683812.15
4.10.02.02.	पुनर्भुगतान	6001	-649072.75	-659275.84	-732774.81	-656245.84
	<i>निवल</i>		-9600.07	3159.53	2564.70	27566.31
4.10.03.	182 दिवसीय राजकोषीय ढंडियां					
4.10.03.01.	सकल उधार	6001	321689.30	322175.12	491660.98	450842.74
4.10.03.02.	पुनर्भुगतान	6001	-283335.51	-308519.25	-507349.73	-366157.61
	<i>निवल</i>		38353.79	13655.87	-15688.75	84685.13
4.10.04.	364 दिवसीय राजकोषीय ढंडियां					
4.10.04.01.	सकल उधार	6001	217670.00	206494.10	455794.04	393542.60
4.10.04.02.	पुनर्भुगतान	6001	-208896.00	-198309.50	-217670.00	-455794.04
	<i>निवल</i>		8774.00	8184.60	238124.04	-62251.44
4.10.05.	नकद प्रबंधन बिल					
4.10.05.01.	कुल उधार	6001	300000.00	250000.00	250000.00	250000.00
4.10.05.02.	पुनर्भुगतान	6001	-220000.00	-250000.00	-250000.00	-250000.00
	<i>निवल</i>		80000.00
4.10.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
4.10.06.01.	सकल उधार	6001	1179582.00	1000000.00	598990.00	1000000.00
4.10.06.02.	पुनर्भुगतान	6001	-1179582.00	-1000000.00	-598990.00	-1000000.00
	<i>निवल</i>	
	<i>निवल-अल्पकालिक उधार</i>		150103.04	25000.00	224999.99	50000.00
	<i>निवल-उधार</i>		624089.15	535869.62	1273788.17	967707.72
5.	लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां					
5.01.	प्राप्ति	6001	262413.32	281294.13	526234.14	483270.38
5.02.	पुनर्भुगतान	6001	-22413.31	-41294.13	-45660.25	-91343.37
	<i>निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</i>		240000.01	240000.00	480573.89	391927.01
6.	राज्य भविष्य निधियां					
6.01.	प्राप्ति	8009	70832.27	77000.00	71000.00	75000.00
6.02.	संवितरण	8009	-59196.94	-59000.00	-53000.00	-55000.00
	<i>निवल-राज्य भविष्य निधियां</i>		11635.33	18000.00	18000.00	20000.00
7.	अन्य प्राप्ति (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)					
7.01.	राहत बांड					
7.01.01.	प्राप्ति	6001

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	(₹ करोड़) बजट 2021-2022
7.01.02.	संवितरण	6001	-0.70	-25.00	-51.99	...
	<i>निवल-राहत बांड</i>		<i>-0.70</i>	<i>-25.00</i>	<i>-51.99</i>	...
7.02.	बचत बांड					
7.02.01.	प्राप्तियां	6001	6631.68	5000.00	19438.00	15000.00
7.02.02.	संवितरण	6001	-272.95	-401.47	-438.91	-3087.47
	<i>निवल-बचत बांड</i>		<i>6358.73</i>	<i>4598.53</i>	<i>18999.09</i>	<i>11912.53</i>
7.03.	अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रिकरण					
7.03.01.	प्राप्तियां	6001	3869.70	10500.00	20227.13	14500.00
7.03.02.	संवितरण	6001	-1.52	-65.00	-200.00	-1076.15
	<i>निवल-अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रिकरण आदि)</i>		<i>3868.18</i>	<i>10435.00</i>	<i>20027.13</i>	<i>13423.85</i>
7.04.	अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)					
7.04.01.	प्राप्तियां	9002	2053818.07	1969688.75	2270373.39	2311318.29
7.04.02.	संवितरण	9002	-2014136.44	-1928339.48	-2258797.53	-2274806.47
7.04.03.	घटाइए प्राप्तियां	9002
	<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)</i>		<i>39681.63</i>	<i>41349.27</i>	<i>11575.86</i>	<i>36511.82</i>
7.05.	अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाएं					
7.05.01.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष					
7.05.01.01.	प्राप्तियां	6001	539.60	1000.01	7122.33	1000.01
7.05.01.02.	पुनर्भदायगी	6001	-5086.20	-5000.00	-10917.94	-7000.00
7.05.01.03.	कम प्राप्तियों को घटाएं	6001	-1020.46	-1075.69	-7771.35	-1128.35
	<i>निवल</i>		<i>-5567.06</i>	<i>-5075.68</i>	<i>-11566.96</i>	<i>-7128.34</i>
7.05.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ					
7.05.02.01.	प्राप्तियां	6001	408.33	0.01	500.00	0.01
7.05.02.02.	पुनर्भदायगी	6001	-349.10	-322.53	-328.37	-473.50
	<i>निवल</i>		<i>59.23</i>	<i>-322.52</i>	<i>171.63</i>	<i>-473.49</i>
7.05.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
7.05.03.01.	प्राप्तियां	6001	69.51	72.01	75.60	89.15
7.05.03.02.	पुनर्भदायगी	6001	-162.54	-162.54	-150.64	-71.11
	<i>निवल</i>		<i>-93.03</i>	<i>-90.53</i>	<i>-75.04</i>	<i>18.04</i>
7.05.04.	अफ्रीकी विकास बैंक और निधि					
7.05.04.01.	प्राप्तियां	6001	3.02	3.66	73.42	39.17
7.05.04.02.	पुनर्भदायगी	6001	-36.76	-24.19	-24.19	-24.19
	<i>निवल</i>		<i>-33.74</i>	<i>-20.53</i>	<i>49.23</i>	<i>14.98</i>
	<i>निवल-अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाएं</i>		<i>-5634.60</i>	<i>-5509.26</i>	<i>-11421.14</i>	<i>-7568.81</i>
	<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)</i>		<i>44273.24</i>	<i>50848.54</i>	<i>39128.95</i>	<i>54279.39</i>
8.	विदेशी ऋण					
8.01.	बहुपक्षीय					
8.01.01.	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक					
8.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	16095.27	14545.00	27881.00	22936.00
8.01.01.02.	पुनर्भदायगी	6002	-6688.16	-7289.98	-7013.47	-7615.90
	<i>निवल</i>		<i>9407.11</i>	<i>7255.02</i>	<i>20867.53</i>	<i>15320.10</i>
8.01.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ					
8.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	8039.30	6932.00	13555.00	5383.00
8.01.02.02.	पुनर्भदायगी	6002	-13803.45	-14581.02	-12378.71	-15293.70
	<i>निवल</i>		<i>-5764.15</i>	<i>-7649.02</i>	<i>1176.29</i>	<i>-9910.70</i>
8.01.03.	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
8.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	446.85	634.00	523.00	384.00
8.01.03.02.	पुनर्भदायगी	6002	-128.49	-141.61	-166.79	-174.90
	<i>निवल</i>		<i>318.36</i>	<i>492.39</i>	<i>356.21</i>	<i>209.10</i>
8.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
8.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	12594.24	11345.00	25229.00	17212.00
8.01.04.02.	पुनर्भदायगी	6002	-4895.34	-6210.96	-6219.16	-7212.13
	<i>निवल</i>		<i>7698.90</i>	<i>5134.04</i>	<i>19009.84</i>	<i>9999.87</i>
8.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़)			
		वास्तविक 2019-2020	बजट 2020-2021	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022
8.01.05.01. प्राप्ति	6002
8.01.05.02. पुनर्भूदायगी	6002	-8.85	-8.33	-9.18	-9.24
निवल		-8.85	-8.33	-9.18	-9.24
8.01.06. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					
8.01.06.01. प्राप्ति	6002
8.01.06.02. पुनर्भूदायगी	6002	-15.87	-15.72	-16.23	-16.17
निवल		-15.87	-15.72	-16.23	-16.17
8.01.07. न्यू डेवलपमेंट बैंक					
8.01.07.01. प्राप्ति	6002	2191.92	3000.00	10162.00	3848.00
8.01.07.02. पुनर्भूदायगी	6002	-85.66
निवल		2191.92	3000.00	10162.00	3762.34
8.01.08. एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)					
8.01.08.01. प्राप्ति	6002	848.04	1350.00	11422.00	5556.00
8.01.08.02. पुनर्भूदायगी	6002
जोड़-एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)		848.04	1350.00	11422.00	5556.00
निवल-बहुपक्षीय		14675.46	9558.38	62968.46	24911.30
8.02. द्विपक्षीय					
8.02.01. जर्मनी					
8.02.01.01. प्राप्ति	6002	2164.76	1344.00	1369.00	1145.00
8.02.01.02. पुनर्भूदायगी	6002	-1163.76	-1355.39	-1390.80	-1948.43
निवल		1001.00	-11.39	-21.80	-803.43
8.02.02. फ्रांस					
8.02.02.01. प्राप्ति	6002	1396.87	1815.00	2883.00	1032.00
8.02.02.02. पुनर्भूदायगी	6002	-292.44	-438.44	-394.55	-518.40
निवल		1104.43	1376.56	2488.45	513.60
8.02.04. जापान					
8.02.04.01. प्राप्ति	6002	15314.30	12792.00	22141.00	20798.00
8.02.04.02. पुनर्भूदायगी	6002	-5939.04	-6382.78	-6611.27	-6767.57
निवल		9375.26	6409.22	15529.73	14030.43
8.02.06. संयुक्त राज्य अमेरिका					
8.02.06.01. प्राप्ति	6002	274.82
8.02.06.02. पुनर्भूदायगी	6002	-173.77	-159.86	-165.66	-92.90
निवल		101.05	-159.86	-165.66	-92.90
8.02.07. रूसी परिसंघ					
8.02.07.01. प्राप्ति	6002	2623.93	3000.00	3084.00	6558.00
8.02.07.02. पुनर्भूदायगी	6002	-781.74	-803.91	-868.18	-1109.36
निवल		1842.19	2196.09	2215.82	5448.64
8.02.08. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
8.02.08.01. प्राप्ति	6002	1190.00	800.00	564.00	1170.00
8.02.08.02. पुनर्भूदायगी	6002
निवल		1190.00	800.00	564.00	1170.00
8.02.09. अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन	6002	-81.64
निवल-द्विपक्षीय		14613.93	10610.62	20610.54	20184.70
8.03. व्यय राज्यों की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के संदर्भ में घटाया गया	6002	-20607.07	-15547.35	-29056.77	-43581.77
निवल-विदेशी ऋण		8682.32	4621.65	54522.23	1514.23
9. नकद शेष का आहरण					
9.01. प्राप्ति	9003	2729.02	2729.00	-2241.33	15116.81
9.02. संवितरण	9003	2241.33	-55731.81	-15116.81	56266.05
निवल-नकद शेष का आहरण		4970.35	-53002.81	-17358.14	71382.86
जोड़-ऋण प्राप्ति		933650.40	796337.00	1848655.10	1506811.21
कुल जोड़		1002270.88	1021303.67	1895152.10	1694811.21

1.01 राज्य सरकारें: राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2020-21 में ₹14,497 करोड़ तथा ब.अ. 2021-22 में ₹13,000 करोड़ लगाया गया है।

1.02 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए गए अग्रिम ऋणों के संबंध में हैं।

2. विविध पूंजी प्राप्ति : इनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के कुछ भाग के विनिवेश के कारण प्राप्ति, कार्यनीतिक विनिवेश से प्राप्ति और इसी प्रकार के अन्य लेन-देन शामिल हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाता है। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2019-20 में पूंजी व्यय के संबंध में इनका उपयोग अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों और भारतीय रेलवे में निवेश संबंधी व्यय के वित्तपोषण हेतु किया जाएगा।

3. भारत की आकस्मिक निधि : भारत की आकस्मिक निधि के कॉर्पस को ब.अ. 2021-22 में ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹30,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है।

4.01 बाजार ऋण : भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत अपने बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) भी जारी किए हैं जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेंडर की घोषणा करती रही है। वर्ष 2021-22 में अदायगियों का ब्यौरा भाग ख के विवरण 6 'विशेष प्रतिभूतियों/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड का रूपांतरण' में दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रूपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरा भाग ख के विवरण 2 में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा कर लिया है (भाग-ख के 2क में ब्यौरा देखें)।

4.04.01 सकल उधार : यह उधार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी प्रतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें बैंक-टू-बैंक ऋण देने के लिए है।

4.10 अल्पावधिक उधार : ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पद्धी बोलियों का विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कलेंडर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

5. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (1, 2, 3 तथा 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के निश्चित स्प्रेड के साथ, समनुरूप कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सामान्य प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित की जाती हैं।

छोटी बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केन्द्रीय और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्ष 2020-21 के लिए, केन्द्रीय और राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 7.4 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। इन प्रतिभूतियों की उन्मोचन राशि विद्यमान ब्याज दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित की जाती है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने एनएसएसएफ संचालित न करने का विकल्प दिया है। अरुणाचल प्रदेश शुद्ध संग्रहणों का 100% और शेष तीन राज्य अपने संबंधित प्रांतों के भीतर जुटाए गए शुद्ध संग्रह का 50% ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहीत निवल राशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एयर इण्डिया आदि में भी किया जा रहा है। लघु बचत योजनाओं के अभिदाताओं को ब्याज के भुगतान और प्रबंधन लागत निधि के व्यय तथा केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकारी एजेंसियों को ऋण अग्रिम निधि की आय होती है। एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 8 में दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा भाग-ख के विवरण 3 में दिया गया है।

7.02 बचत बांड : फ्लोटिंग दर बचत खंड, 2020 (कर योग्य) की शुरुआत 7 वर्षों की निरुद्ध अवधि सहित, जुलाई, 2020 में की गई थी ताकि निवासी नागरिक/हिंदू अविभाजित परिवार बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। बांडों पर ब्याज 1 जनवरी और 1 जुलाई को वर्ष में दो बार देय है जिसमें प्रत्येक छह माह का रीसेटिंग क्लोज होता है जो मौजूदा एनएससी दर जमा 35 बीपीएस के साथ जुड़ा होता है। अगली छमाही के लिए ब्याज दर 1 जुलाई, 2021 को रीसेट की जाएगी और आगे यह प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रथम रीसेट 1 जनवरी, 2021 को किया गया था। आधार पर ब्याज का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं है। बांड धारक की मृत्यु होने पर उसके नामिती/वैध वारिस को अंतरित किए जाने के सिवाय ये बांड अंतरणीय नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। 60 वर्ष और इससे ऊपर के आयु समूह के व्यक्ति निवेशक को निर्गम की तारीख से न्यूनतम निरुद्ध अवधि के पश्चात परिपक्वता पूर्व नकदीकरण की अनुमति दी गई है।

7.05.01 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष: आईएमएफ में भारत का कोटा 2.75 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ 13114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटा धारिता के अर्थ में भारत का आठवां स्थान है। 2016 के आरंभ में 146वीं सामान्य कोटा समीक्षा के अनुसार कोटा वृद्धि के लिए भारत ने 7292.9 मिलियन एसडीआर प्रदान किया। इस वर्धित धारिता का रखरखाव भारतीय रुपए में किसी मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के लिए मूल्य में किया जाता है। सभी सदस्यों के कोटा संसाधनों के अलावा, गैर रियायती सदस्य को ऋण देने के प्रयोजन से संसाधन लाइन की दूसरी और तीसरी लाइन के रूप में उधार लेने के लिए आईएमएफ नई व्यवस्थाएं (एनएबी) और द्विपक्षीय उधार करारों (बीबीए) को नियुक्त करता है। एनएबी के प्रति भारतीय वचनबद्धता 4,440.9 मिलियन एसडीआर है, जिसमें से आज तक 34 एनएबी का क्रियान्वयन हुआ और भारत के पास शेष राशि 290.70 मिलियन एसडीआर है। बीबीए के संबंध में, भारत ने बीबीए 2016 को 10 बिलियन अमरीकी डालर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

7.05.03 एशियाई विकास बैंक और निधि: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

8. विदेशी ऋण: बजट 2021-22 में ₹86,022 करोड़ की सकल प्राप्ति और ₹40,926 करोड़ की चुकौती को माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹45,096 करोड़ का निवल विदेशी ऋण होगा।

8.01 बहुपक्षीय : ब.अ. 2021-22 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी), पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, नव विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹24,911.30 करोड़ रहने का अनुमान है।

8.01.03 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन हेतु समर्पित है। 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन वर्गों के देशों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सूची क. विकसित देश, सूची ख. तेल उत्पादक देश और सूची ग. विकासशील देश। भारत सूची ग. में है।

(ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का एक संस्थापक सदस्य है और इसने आईएफएडी संसाधनों के लिए अब तक 171 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

(ग) भारत ने 11वें पुनःपूर्ति चक्र के लिए महत्वपूर्ण अंशदान के रूप में 40 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वचन दिया है। इसके अलावा, भारत ने रियायती भागीदार ऋण (सीपीएल) (5 वर्षों की छूट अवधि के साथ 25 वर्षों की अवधि तक 1 प्रतिशत ब्याज दर पर) के रूप में 20 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का वचन दिया है। आईएफएडी ने इसकी शुरुआत प्रथम बार की है।

(घ) भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड के सहायक निकायों अर्थात् एवेल्युएशन कमिटी एण्ड वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क का सदस्य भी है।

(ड.) वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में 30 परियोजनाओं को 1100 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ सहायता प्रदान की है।

(च) मौजूदा निष्पादन आधार आबंटन प्रणाली (पीबीएस) चक्र, अर्थात् 2019-21 के लिए, भारत के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों की ओर से मांग की गई है। हाल ही में, भारत ने अवधि 2018-24 के लिए भारत हेतु राष्ट्र रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (सीओएसओपी) को भी अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान सीओएसओपी में दो पीबीएस चक्र: 2019-21 और 2022-24 शामिल होंगे।

(छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारत में छोटे कृषक परिवारों को सशक्त बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कृषि प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने नामक परियोजना प्रस्ताव के लिए आईएफएडी से 19 नवम्बर, 2018 को ₹420 करोड़ (लगभग 60 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ज) 1 जनवरी, 2018 से भारत साधारण शर्तों पर ऋणों का पात्र है। साधारण शर्तों पर प्रदत्त आईएफएडी ऋणों की ब्याज दर आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अर्धवार्षिक रूप से यथा निर्धारित परिवर्तनीय संदर्भ दर के एक सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) के समतुल्य प्रतिवर्ष होगी, और इसकी परिपक्वता अवधि 15-18 वर्ष होगी। इसमें 3 वर्ष की छूट अवधि शामिल है, जिसकी शुरुआत विनिर्दिष्ट संवितरण शर्तों को पूरा करने के पश्चात होगी।

(झ) वर्ष 2013 से 2017 तक, आईएफएडी ने भारत को 1.25 प्रतिशत जमा 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार प्रति वर्ष की नियत ब्याज दर पर नरम शर्तों पर ऋण प्रदान किया था, जिसकी परिपक्वता अवधि 25 वर्ष थी। इसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल थी। भारत ने मेघालय और आंध्र प्रदेश सूखा उपशमन परियोजना (एपीडीएमपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, वर्ष 2013 तक हस्ताक्षरित परियोजनाओं के संबंध में आईएफएडी ऋणों को चुकाने की अवधि 10 वर्षों की छूट अवधि सहित 40 वर्ष है और इस पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं होगा। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर 1 प्रतिशत की 3/4 दर (0.75 प्रतिशत) प्रतिवर्ष दर पर सेवा प्रभार लगाया जाता है।

8.02 द्विपक्षीय : ब.अ. 2021-22 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूसी संघ और यूरोपियन निवेश बैंक (ईआईबी) से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹20,184.70 करोड़ रहने का अनुमान है।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	संशोधित 2020-21	बजट 2021-22
राजस्व प्राप्तियां	879232	1014724	1101473	1195025	1374203	1435232	1552915	1684059	1555153	1788424
क. कर राजस्व										
(राज्यों का निवल हिस्सा)										
(ब्यौरा अनुबंध 2 में)	741877	815854	903615	943765	1101372	1242488	1317211	1356902	1344501	1545396
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(ब्यौरा अनुबंध 2 में)	137355	198870	197858	251260	272831	192744	235704	327157	210652	243028
पूंजी प्राप्तियां	582152	563894	484449	582579	609866	702648	763518	997301	1912510	1623429
1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)	467356	453550	445138	404050	349657	410256	423267	473986	1048788	917708
1.01 सकल बाजार उधार	558000	595147	629374	623300	624670	647158	599590	874822	1440000	1385500
क. सामान्य/नवीन	558000	557000	592000	585000	582000	588000	571000	710000	1280000	1205500
ख. स्थिचिंग	...	31472	37374	38300	41625	59158	28590	164822	160000	180000
ग. अन्य	...	6675	1045
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	90644	141597	184236	219250	275013	236902	176324	400835	391212	467792
क. सामान्य/नवीन	90644	95007	138925	144375	174846	137272	148265	236032	227212	280792
ख. स्थिचिंग	...	31000	39028	37349	40510	58075	28059	164803	160000	180000
ग. वापस खरीद/अन्य	...	15590	6283	37526	59657	41555
घ. अन्य	4000	7000
2. विदेशी सहायता (निवल)	7201	7292	12933	12748	17996	7931	5519	8682	54522	1514
2.01 सकल विदेशी उधार	23309	25416	33534	36054	44191	48517	50609	63180	118813	86022
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	16108	18124	20601	23306	26195	26685	30739	33891	35234	40926
2.03 निवलित व्यय	13901	14351	20607	29057	43582
3. अल्पकालिक ऋण	53350	7729	9179	50693	5550	44949	6897	150103	225000	50000
4. ऋणों की वसूली*	15060	12497	13738	20835	17630	15633	18052	18316	14497	13000
5. अल्प बचतें (निवल)	8626	12357	32226	52465	67435	102628	125000	240000	480574	391927
6. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	10920	9753	11920	11858	17745	15799	16059	11635	18000	20000
7. विशेष निक्षेप
8. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	25890	29368	37737	42132	47723	100045	94727	50304	32000	175000
8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#	-6251	31348	-78422	-12202	86130	5407	73997	44273	39129	54279
जोड़-प्राप्तियां	1461384	1578618	1585922	1777604	1984069	2137880	2316433	2681360	3467663	3411853
राजस्व लेखे पर घाटा	364282	357048	365519	342736	316381	443602	454484	666545	1455989	1140576
प्राथमिक घाटा	177020	128604	108281	91133	54904	62112	66770	321580	1155755	697111
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	-51012	-19171	77844	13170	-8895	4092	1321	4970	17358	71383
राजकोषीय घाटा	490190	502858	510725	532792	535618	591064	649418	933651	1848655	1506812
* अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर										
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	10000	10000	10000	20000	23000	50000	12000	...	10000	50000
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं	349	316	276	242	202	201	95	275	275	275
(क) पूंजी व्यय से प्रतिकंटा ओमिटेड आईएमएफ जारी	4323	367	4619	52714	2181	543	9793	1020	7771	1128
(ख) जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों को ऋण	110208	...
(ग) भारत के आकस्मिकता निधि के कोरपास को बढ़ावा देना	29500
(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	80000	106000	65443	20000
(ङ) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	300	250	105	100	140	120	110	225	125	...
(च) एक्जिम बैंक को जारी प्रतिभूतियां	4500	550
(छ) आईडीबीआई बैंक लि. को जारी प्रतिभूतियां	4557
(ज) आईआईएफसीएल बैंक लि. को जारी प्रतिभूतियां	5298

अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2014-15	वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	वास्तविक 2018-19	वास्तविक 2019-20	संशोधित 2020-21	बजट 2021-22
क. कर राजस्व										
सकल कर राजस्व	1036235	1138733	1244886	1455648	1715822	1919008	2080465	2010059	1900280	2217059
1. निगम कर	356326	394678	428925	453228	484924	571202	663572	556876	446000	547000
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	196512	237817	258326	287628	349436	419880	472983	492593	459000	561000
3. ब्याज कर	6	8	6	5	5	4	3	2
4. आय और व्यय पर अन्य कर	15	9	11	4	15163	10888	16	59
5. सीमा-शुल्क	165346	172085	188016	210338	225370	129030	117813	109282	112000	136000
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	175845	169455	188128	288073	381756	258834	231045	239452	361000	335000
7. सेवा कर	132601	154778	167969	211414	254499	81228	6904	6029	1400	1000
8. सम्पदा शुल्क	1	1	1	1	1	2
9. धन कर	844	1007	1086	1079	184	62	40	18
10. उपहार कर	1	1
11. माल एवं सेवा कर	442561	581559	598749	515100	630000
12. अन्य कर और शुल्क	5644	5765	9215	...	338	597	937	1162
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	3094	3130	3204	3878	4146	4721	5592	5835	5780	7059
14. घटाइए—राज्यों का हिस्सा	291547	318230	337808	506193	608000	673005	761454	650677	549959	665563
15. घटाइए — एन.सी.सी. एफ/एनडीआरएफ व्यय प्राप्तियों से घटाकर	2810	4650	3461	5690	6450	3515	1800	2480	5820	6100
निवल-केन्द्र का कर राजस्व	741878	815853	903617	943765	1101372	1242488	1317211	1356903	1344501	1545397
1. राजकोषीय सेवाएं	786	884	1394	630	765	460	744	1041	590	702
2. ब्याज प्राप्तियां	20761	21868	23804	25379	16229	13574	12145	12349	14005	11541
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	9406	8985	8367	7859	7608	7358	7403	7696	4008	3872
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	5349	7983	9148	10145	*
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य ब्याज प्राप्तियां	6006	4900	6289	7375	8621	6216	4742	4653	9997	7669
3. लाभान्श और लाभ	53761	90435	89833	112127	123017	91361	113421	186133	96543	103538
4. अन्य सामान्य सेवाएं	10160	11670	13472	14373	16091	17565	19542	20308	16266	20724
5. सामाजिक सेवाएं	4766	1264	1675	4331	11928	2944	2998	3404	3145	2881
6. आर्थिक सेवाएं	43693	67657	64718	91001	101697	61369	83902	101787	76601	100364
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1117	1474	1362	1538	1804	1890	1890	1762	2081	2531
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2311	3618	1600	1881	1300	3582	1063	373	1422	747
जोड़-कर-भिन्न राजस्व**	137355	198870	197857	251260	272831	192744	235704	327157	210653	243028
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	879233	1014723	1101475	1195025	1374203	1435232	1552915	1684060	1555154	1788425
(क) सामान्य सेवाएं	10111	11695	13502	21140	24561	24500	27781	19112	19400	21350
(ख) आर्थिक सेवाएं	139981	158737	177693	187477	184221	195506	208886	191397	165363	242655
जोड़	150092	170432	191195	208617	208782	220006	236667	210509	184763	264005

** वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों को घटाकर ।

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	संशोधित अनुमान 2020-21	बजट अनुमान 2021-22
क. राजस्व प्राप्तियां				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्तियां	1948083.53	2331444.66	1797187.53	2105708.04
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	-174694.69	-225913.00	-146609.00	-217460.00
डाक की राजस्व प्राप्तियां	-13558.20	-18710.05	-12330.05	-17710.05
रक्षा की राजस्व प्राप्तियां	-7725.13	-9049.48	-10363.73	-8679.18
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्तियां	-22256.59	-27905.92	-25824.42	-28834.91
चिड़ियाघर के प्रवेश के संबंध में प्राप्तियां	-8.07	-9.78	...	-5.00
ब्याज भुगतान	-43300.51	-25000.00	-40087.16	-37494.47
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली से अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्राप्तियां	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-2480.00	-2930.00	-5820.00	-6100.00
राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान के ऋण को बढ़े खाते डालना/ब्याज मापक	-1.29
निवल राजस्व प्राप्तियां	1684059.05	2020926.43	1555153.17	1788424.43
ख. पूंजी प्राप्तियां				
भारत की संचित निधि की कुल प्राप्तियां (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां, अर्थोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	2196140.36	2470437.73	3518143.64	3339181.08
कुल लोक लेखा प्राप्तियां	2124650.34	2046688.75	2341373.39	2386318.29
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	22975.25	3159.53	2564.70	27566.31
भारत के आकस्मिकता निधि को अंतरण	--	--	--	29500.00
जोड़	4343765.95	4520286.01	5862081.73	5782565.68
घटाइए :				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थोपाय अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	-1175280.91	-1380641.99	-1459237.84	-1683745.72
कुल लोक लेखा संवितरण	-2073333.38	-1987339.48	-2311797.53	-2329806.47
निवल	1095151.66	1152304.54	2091046.36	1769013.49
एशियाई विकास निधि-13 के लिए अंशदान	-89.15
बांडों द्वारा आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता	-5297.60	-10000.00	...	-0.01
बांड शेयर जारी करना	-44.96
एक्विजि बैंक को विशेष प्रतिभूतियां जारी करना	-550.00
आईडीबीआई बैंक लि. को विशेष प्रतिभूतियां जारी	-4557.00
पूँजी में वृद्धि करने के लिए पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करना	-65443.00	-0.01	-20000.00	-20000.00
ऋण के नए प्रबंध (एनएबी) के अंतर्गत प्राप्ति	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
आकस्मिकता निधि के लिए भारत के समेकित निधि से प्राप्ति	-29500.00
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता की प्राप्ति	-20607.07	-15547.35	-29056.77	-43581.77
जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के कारण राज्यों को ऋण प्राप्ति	-110208.00	-0.01
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	-121.03	-275.00	-275.00	-275.00
भारत सरकार की स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-210.00	-0.01	-125.00	-0.01
एडीबी/एफ,आईएमएफ के लिए जारी प्रतिभूतियां	-539.60	-1000.01	-7122.33	-1000.01
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	-72.53	-75.67	-149.02	-39.18
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-408.33	-0.01	-500.00	-0.01
भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	...	-50000.00	-10000.00	-50000.00
राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
निवल पूंजी प्राप्तियां	997300.54	1074306.48	1912510.24	1623428.34
कुल प्राप्तियां	2681359.59	3095232.91	3467663.41	3411852.77
कुल व्यय	2686329.95	3042230.09	3450305.27	3483235.63
नकद शेष में (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि (+)/कमी (-)	-4970.36	53002.82	17358.14	-71382.86

बजट अनुमान 2021-22 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

अनुबन्ध-4

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (4 से 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.047	7836.77	7963.63	-0.34	8702.98	1627.54	788.15	16.59	26935.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.757	3402.32	3457.40	-0.15	3778.39	706.60	342.18	7.20	11693.94
3.	असम	3.128	6057.18	6155.23	-0.26	6726.70	1257.96	609.18	12.83	20818.82
4.	बिहार	10.058	19476.69	19791.99	-0.84	21629.51	4044.92	1958.80	41.24	66942.31
5.	छत्तीसगढ़	3.407	6597.44	6704.25	-0.29	7326.68	1370.16	663.51	13.97	22675.72
6.	गोवा	0.386	747.47	759.57	-0.03	830.08	155.23	75.17	1.58	2569.07
7.	गुजरात	3.478	6734.93	6843.96	-0.29	7479.36	1398.71	677.34	14.26	23148.27
9.	हरियाणा	1.093	2116.53	2150.79	-0.09	2350.47	439.56	212.86	4.48	7274.60
9.	हिमाचल प्रदेश	0.830	1607.24	1633.26	-0.07	1784.90	333.79	161.64	3.40	5524.16
10.	झारखंड	3.307	6403.80	6507.47	-0.28	7111.63	1329.94	644.04	13.56	22010.16
11.	कर्नाटक	3.647	7062.19	7176.51	-0.31	7842.79	1466.68	710.25	14.95	24273.06
12.	केरल	1.925	3727.64	3787.99	-0.16	4139.67	774.16	374.89	7.89	12812.08
13.	मध्य प्रदेश	7.850	15201.04	15447.12	-0.66	16881.25	3156.95	1528.79	32.19	52246.68
14.	महाराष्ट्र	6.317	12232.48	12430.50	-0.53	13584.57	2540.44	1230.24	25.90	42043.60
15.	मणिपुर	0.716	1386.49	1408.93	-0.06	1539.74	287.95	139.44	2.94	4765.43
16.	मेघालय	0.767	1485.25	1509.29	-0.06	1649.42	308.46	149.37	3.15	5104.88
17.	मिजोरम	0.500	968.22	983.89	-0.04	1075.24	201.08	97.38	2.05	3327.82
18.	नागालैण्ड	0.569	1101.83	1119.67	-0.05	1223.62	228.83	110.81	2.33	3787.04
19.	ओडिशा	4.528	8768.19	8910.13	-0.38	9737.36	1820.98	881.83	18.57	30136.68
20.	पंजाब	1.807	3499.14	3555.79	-0.15	3885.91	726.70	351.91	7.41	12026.71
21.	राजस्थान	6.026	11668.98	11857.88	-0.51	12958.78	2423.41	1173.56	24.71	40106.81
22.	सिक्किम	0.388	751.34	763.50	-0.03	834.39	156.04	75.56	1.59	2582.39
23.	तमिलनाडु	4.079	7898.73	8026.60	-0.34	8771.80	1640.41	794.39	16.72	27148.31
24.	तेलंगाना	2.102	4070.39	4136.29	-0.18	4520.30	845.34	409.37	8.62	13990.13
25.	त्रिपुरा	0.708	1371.00	1393.19	-0.06	1522.54	284.73	137.88	2.90	4712.18
26.	उत्तर प्रदेश	17.939	34737.76	35300.11	-1.50	38577.42	7214.34	3493.62	73.55	119395.30
27.	उत्तराखंड	1.118	2164.94	2199.98	-0.09	2404.23	449.61	217.73	4.58	7440.98
28.	पश्चिम बंगाल	7.523	14567.82	14803.65	-0.63	16178.05	3025.45	1465.11	30.84	50070.29
	जोड़	100.00	193643.80	196778.57	-8.38	215047.78	40215.97	19475.00	410.00	665562.74

* पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 41% निश्चित किया गया है।
@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	सेवा कर (0044)	जोड़ (4 से 10)	2019-20 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2020-21 में समायोजनीय	2018-19 का समायोजन (सी एण्ड एजी प्रमाणित संख्याएं एवं अनंतिम वास्तविक)	कुल जोड़ (11 + 12 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.111	6489.00	6610.82	-0.32	7177.80	1504.29	804.83	23.60	22610.02	-1355.80	1356.41	22610.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.760	2778.07	2830.22	-0.14	3072.96	644.01	344.56	10.10	9679.78	-430.85	431.65	9680.58
3.	असम	3.131	4942.12	5034.90	-0.24	5466.72	1145.69	612.97	17.97	17220.13	-1042.99	1043.22	17220.36
4.	बिहार	10.061	15880.78	16178.91	-0.77	17566.48	3681.50	1969.69	57.75	55334.34	-3045.59	3045.21	55333.96
5.	छत्तीसगढ़	3.418	5395.14	5496.42	-0.26	5967.82	1250.71	669.16	19.62	18798.61	-969.60	970.42	18799.43
6.	गोवा	0.386	609.28	620.72	-0.03	673.95	141.24	75.57	2.22	2122.95	-119.20	119.09	2122.84
7.	गुजरात	3.398	5363.57	5464.26	-0.26	5932.90	1243.39	665.24	19.50	18688.60	-970.84	971.67	18689.43
8.	हरियाणा	1.082	1707.88	1739.94	-0.08	1889.17	395.92	211.83	6.21	5950.87	-341.74	341.56	5950.69
9.	हिमाचल प्रदेश	0.799	1261.18	1284.86	-0.06	1395.05	292.37	156.42	4.59	4394.41	-224.68	224.66	4394.39
10.	जम्मू और कश्मीर	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-621.74	584.17	-37.57
11.	झारखंड	3.313	5229.40	5327.57	-0.25	5784.49	1212.28	648.60	19.02	18221.11	-988.76	989.03	18221.38
12.	कर्नाटक	3.646	5755.02	5863.06	-0.28	6365.91	1334.14	713.80	20.93	20052.58	-1484.15	1484.98	20053.41
13.	केरल	1.943	3066.93	3124.50	-0.15	3392.47	710.98	380.39	11.15	10686.27	-787.90	787.68	10686.05
14.	मध्य प्रदेश	7.886	12447.65	12681.33	-0.61	13768.94	2885.63	1543.88	45.27	43372.09	-2376.82	2378.19	43373.46
15.	महाराष्ट्र	6.135	9683.78	9865.58	-0.47	10711.70	2244.90	1201.08	35.22	33741.79	-1738.07	1739.55	33743.27
16.	मणिपुर	0.718	1133.33	1154.60	-0.06	1253.63	262.73	140.57	4.12	3948.92	-194.47	194.41	3948.86
17.	मेघालय	0.765	1207.51	1230.18	-0.06	1335.69	279.93	149.77	4.39	4207.41	-202.31	202.29	4207.39
18.	मिजोरम	0.506	798.70	813.69	-0.04	883.47	185.15	99.06	2.90	2782.93	-144.99	144.92	2782.86
19.	नागालैण्ड	0.573	904.45	921.43	-0.04	1000.46	209.67	112.18	3.29	3151.44	-156.95	156.89	3151.38
20.	ओडिशा	4.629	7306.64	7443.81	-0.36	8082.22	1693.83	906.24	26.57	25458.95	-1461.89	1462.57	25459.63
21.	पंजाब	1.788	2822.27	2875.25	-0.14	3121.84	654.26	350.05	10.26	9833.79	-497.08	496.90	9833.61
22.	राजस्थान	5.979	9437.55	9614.72	-0.46	10439.32	2187.82	1170.54	34.32	32883.81	-1729.91	1731.33	32885.23
23.	सिक्किम	0.388	612.44	623.94	-0.03	677.45	141.98	75.96	2.23	2133.97	-115.71	115.62	2133.88
24.	तमिलनाडु	4.189	6612.12	6736.25	-0.32	7313.98	1532.83	820.10	24.04	23039.00	-1267.09	1267.55	23039.46
25.	तेलंगाना	2.133	3366.83	3430.04	-0.16	3724.21	780.50	417.59	12.24	11731.25	-767.33	767.84	11731.76
26.	त्रिपुरा	0.709	1119.12	1140.13	-0.05	1237.91	259.44	138.81	4.07	3899.43	-202.35	202.30	3899.38
27.	उत्तर प्रदेश	17.931	28303.17	28834.50	-1.38	31307.48	6561.27	3510.44	102.92	98618.40	-5658.80	5658.47	98618.07
28.	उत्तराखंड	1.104	1742.61	1775.32	-0.08	1927.58	403.97	216.14	6.34	6071.88	-331.43	331.47	6071.92
29.	पश्चिम बंगाल	7.519	11868.36	12091.16	-0.58	13128.16	2751.33	1472.03	43.16	41353.62	-2307.80	2307.63	41353.45
	जोड़	100.00	157844.90	160808.11	-7.68	174599.76	36591.76	19577.50	574.00	549988.35	-31536.84	31507.68	549959.19

* पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

वास्तविक 2019-20 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत) *	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	व्यय कर	जोड़ (4 से 11)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (12 + 14)	सं.अ. 2019-20 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी	2019-20 का अंतर (वास्तविक सं.अ. 2020-21 में समायोजनीय (15-16))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	9330.33	8371.08	0.04	8820.60	1627.73	1139.29	21.01	1.07	29311.15	4.398	109.49	29420.64	30776.44	-1355.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	2969.23	2663.97	0.01	2807.02	518.00	362.56	6.69	0.34	9327.82	1.431	35.62	9363.44	9794.29	-430.85
3.	असम	3.311	7176.01	6438.25	0.03	6783.98	1251.90	876.23	16.16	0.82	22543.38	3.371	83.92	22627.30	23670.29	-1042.99
4.	बिहार	9.665	20947.19	18793.61	0.10	19802.82	3654.36	2557.78	47.17	2.40	65805.43	9.787	243.64	66049.07	69094.66	-3045.59
5.	छत्तीसगढ़	3.080	6675.36	5989.07	0.03	6310.68	1164.55	815.10	15.03	0.77	20970.59	3.166	78.82	21049.41	22019.01	-969.60
6.	गोवा	0.378	819.25	735.02	0.00	774.49	142.92	100.04	1.85	0.09	2573.66	0.379	9.43	2583.09	2702.29	-119.20
7.	गुजरात	3.084	6684.03	5996.84	0.03	6318.87	1166.07	816.16	15.05	0.77	20997.82	3.172	78.96	21076.78	22047.62	-970.84
8.	हरियाणा	1.084	2349.38	2107.84	0.01	2221.03	409.86	286.87	5.29	0.27	7380.55	1.091	27.16	7407.71	7749.45	-341.74
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1545.30	1386.43	0.01	1460.88	269.59	188.69	3.48	0.18	4854.56	0.722	17.97	4872.53	5097.21	-224.68
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4018.22	3605.11	0.02	3798.70	701.00	490.65	9.05	0.46	12623.21	0.000	0.00	12623.21	13244.95	-621.74
11.	झारखंड	3.139	6803.23	6103.79	0.03	6431.56	1186.86	830.72	15.32	0.78	21372.29	3.198	79.61	21451.90	22440.66	-988.76
12.	कर्नाटक	4.713	10214.60	9164.44	0.05	9656.56	1782.00	1247.27	23.00	1.17	32089.09	4.822	120.04	32209.13	33693.28	-1484.15
13.	केरल	2.500	5418.31	4861.26	0.03	5122.30	945.26	661.61	12.20	0.62	17021.59	2.526	62.88	17084.47	17872.37	-787.90
14.	मध्य प्रदेश	7.548	16358.96	14677.10	0.08	15465.25	2853.92	1997.53	36.84	1.88	51391.56	7.727	192.36	51583.92	53960.74	-2376.82
15.	महाराष्ट्र	5.521	11965.80	10735.60	0.06	11312.09	2087.50	1461.10	26.95	1.37	37590.47	5.674	141.25	37731.72	39469.79	-1738.07
16.	मणिपुर	0.617	1337.24	1199.76	0.01	1264.18	233.29	163.29	3.01	0.15	4200.93	0.623	15.51	4216.44	4410.91	-194.47
17.	मेघालय	0.642	1391.42	1248.37	0.01	1315.41	242.74	169.90	3.13	0.16	4371.14	0.650	16.18	4387.32	4589.63	-202.31
18.	मिजोरम	0.460	996.97	894.47	0.00	942.50	173.93	121.74	2.25	0.11	3131.97	0.464	11.55	3143.52	3288.51	-144.99
19.	नागालैण्ड	0.498	1079.33	968.36	0.01	1020.36	188.29	131.79	2.43	0.12	3390.69	0.503	12.52	3403.21	3560.16	-156.95
20.	ओडिशा	4.642	10060.72	9026.38	0.05	9511.09	1755.15	1228.48	22.66	1.15	31605.68	4.744	118.10	31723.78	33185.67	-1461.89
21.	पंजाब	1.577	3417.87	3066.48	0.02	3231.15	596.27	417.34	7.70	0.39	10737.22	1.589	39.56	10776.78	11273.86	-497.08
22.	राजस्थान	5.495	11909.45	10685.04	0.06	11258.82	2077.67	1454.22	26.82	1.37	37413.45	5.647	140.58	37554.03	39283.94	-1729.91
23.	सिक्किम	0.367	795.41	713.63	0.00	751.95	138.76	97.12	1.79	0.09	2498.75	0.369	9.19	2507.94	2623.65	-115.71
24.	तमिलनाडु	4.023	8719.15	7822.73	0.04	8242.81	1521.11	1064.66	19.64	1.00	27391.14	4.104	102.17	27493.31	28760.40	-1267.09
25.	तेलंगाना	2.437	5281.77	4738.75	0.02	4993.22	921.43	644.94	11.89	0.61	16592.63	2.499	62.21	16654.84	17422.17	-767.33
26.	त्रिपुरा	0.642	1391.42	1248.37	0.01	1315.41	242.74	169.90	3.13	0.16	4371.14	0.648	16.13	4387.27	4589.62	-202.35
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	38922.98	34921.31	0.18	36796.56	6790.34	4752.73	87.65	4.46	122276.21	18.205	453.20	122729.41	128388.21	-5658.80
28.	उत्तराखंड	1.052	2280.03	2045.62	0.01	2155.47	397.76	278.40	5.14	0.26	7162.69	1.068	26.59	7189.28	7520.71	-331.43
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	15873.48	14241.53	0.07	15006.29	2769.22	1938.25	35.75	1.82	49866.41	7.423	184.79	50051.20	52359.00	-2307.80
	जोड़	100.00	216732.44	194450.21	1.02	204892.05	37810.22	26464.36	488.08	24.84	680863.22	100.00	2489.43	683352.65	714889.49	-31536.84

* चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।
 @ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)
(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2019-2020, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					विवादरहित राशियां (₹ करोड़)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	
आय एवं व्यय												
	पर कर	5,66,394	2,61,768	27,201	28,512	8,83,875	1,21,995	1,07,051	8,324	2,436	2,39,806	11,23,681
0020	निगम कर	2,28,611	1,81,578	17,707	6,350	4,34,246	68,029	87,903	5,007	1,464	1,62,403	5,96,649
0021	निगम कर को छोड़कर											
	आय पर कर	3,37,783	80,190	9,494	22,162	4,49,629	53,966	19,148	3,317	972	77,403	5,27,032
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	44,947	68,848	39,092	5,846	1,58,733	3,503	3,766	4,199	4,093	15,561	1,74,294
0005	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	89	7	0	0	96	18	0	0	0	18	114
0008	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	118	1	0	0	119	9	0	0	0	9	128
0037	सीमा शुल्क	8,137	4,299	6,128	1,597	20,161	584	718	864	994	3,160	23,321
0038	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	10,615	25,380	11,433	3,449	50,877	822	1,122	2,522	2,955	7,421	58,298
0044	सेवा कर	25,988	39,161	21,531	800	87,480	2,070	1,926	813	144	4,953	92,433
जोड़		6,11,341	3,30,616	66,293	34,358	10,42,608	1,25,498	1,10,817	12,523	6,529	2,55,367	12,97,975

टिप्पणी: लगाए गए कर राजस्व को नकदी में उगाहें न जाने और इसे विवाश्रेणी के अंतर्गत नहीं लाए जाने के कारण हैं - वसूली के लिए कोई आस्ति नहीं होना या अपर्याप्त आस्ति होना, कर दाता का पता न लग पाना आदि।

अनुबन्ध - 6

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि
(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्टिंग वर्ष 2019-20 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]	1125.68	951.06	795.76	1650.47	15226.56	19749.53
ब्याज प्राप्तियां जिसमें (क+ख+ग+घ)	839.15	507.06	471.06	1650.47	15149.04	18616.78
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	1.12	3.24	0.00	0.00	1651.58	1655.94
(ख) रेलवे से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	4.63
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	838.03	503.82	471.06	1650.47	13492.83	16956.21
(ii) लाभांश एवं लाभ	286.53	444.00	324.70	0.00	77.52	1132.75
2 सामान्य सेवाएं	8502.27	10258.65	6921.37	7089.64	23689.68	56461.61
पुलिस प्राप्तियां	8502.27	10258.65	6921.37	7089.64	23689.68	56461.61
3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]	2263.15	2687.20	9660.79	9629.83	89637.71	113878.68
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) संचार	2263.15	2687.20	9660.79	9629.83	89637.71	113878.68
4 अन्य प्राप्तियां	8482.85	9431.68	14352.31	23087.22	86984.78	142338.84
जोड़ [1+2+3+4]	20373.95	23328.59	31730.23	41457.16	215538.73	332428.66

**केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव संबंधी विवरण:
वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20**

किसी कर कानून और उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी व्यय को वित्तपोषित करने के प्रयोजन हेतु राजस्व जुटाना है। जुटायी गई राजस्व की धनराशि मूलतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो घटकों के निर्धारक उपायों की वह श्रृंखला है जिसमें विशेष कर दरें, छूट, कटौती, छूट, विलंबन और ऋण शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' अथवा 'कर वरीयता' के नाम से जाना जाता है। इनका सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को भी परिलक्षित करते हैं।

कर नीति में विशेषकर प्रोत्साहनों की विशेषता है जो कर वरीयताओं को जन्म देते हैं। ऐसी प्राथमिकताओं का राजस्व पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है और इन्हें वरीयता प्राप्त करदाताओं के लिए एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी देखा जा सकता है जिन्हें 'कर व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति केवल प्रभावी ही नहीं होनी चाहिए बल्कि पारदर्शी भी हो। इसका तात्पर्य यह है कि कार्यक्रम आयोजना जिसमें उन प्रोत्साहनों जिनका राजस्व पर प्रभाव होता है, का उपयोग करके समाधान करने के लिए विशेष नीतिगत उद्देश्य अपेक्षित होते हैं, स्पष्ट होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, संबंधित कार्यक्रम शीर्षों के अधीन ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्यय (अथवा राजस्व प्रभाव) के समावेशन हेतु पारदर्शी बजट बनाने की आवश्यकता है। राजस्व के किसी रूप में कर प्रोत्साहनों का स्वतः प्रभाव कर विधान में शामिल वे कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप होता है।

वर्तमान विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों का ऐसा राजस्व प्रभाव बजट 2006-07 के दौरान प्रथम बार विगत राजस्व के एक विवरण की रीति के जरिए प्राप्ति बजट के अनुबंध 12 के रूप में संसद के समक्ष पेश किया गया था। इस पर सभी क्षेत्रों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी और राजकोषीय नीति से संबंधित सभी मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस का प्रादुर्भाव हुआ। इससे कर नीति और कर व्यय के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे को भी विश्वास प्राप्त हुआ। इस विवरण का द्वितीय संस्करण प्राप्ति बजट के अनुबंध 12 के द्वारा बजट 2007-08 के दौरान "पूर्ववर्ती राजस्व का विवरण" नामक एक पृथक बजट दस्तावेज के माध्यम से भी संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात, यह 2008-09 से 2014-15 के बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था। बजट 2015-16 में, इसे "केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का विवरण" के रूप में अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त नाम दिया गया है, चूंकि वास्तव में इसमें राजस्व प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। तथापि, यह उस वर्ष में प्राप्ति बजट का भाग नहीं था। बजट 2015-16 में, इसे अनुबंध 15 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग बनाया गया था, जबकि बजट 2017-18 में, यह अनुबंध 13 था। बजट 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में, यह अनुबंध 7 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग था।

जैसा कि पूर्व में, यह विवरण कर प्रोत्साहनों अथवा कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव की सूची की मांग करता है जो केंद्र सरकार की कर प्रणाली का एक भाग हैं। ऐसे कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव अधिकांश "कर वरीयताओं" के संबंध में अनुमानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान, हाल ही के वर्ष जिसके लिए डाटा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के कर व्यय आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व प्रभाव प्रस्तावित करने के लिए भी एक प्रयास किया गया है।

निम्नलिखित अनुमानों के आधार पर कर व्यय का अनुमान लगाया गया है:

- (क) अनुमान और प्रस्ताव छूटों, कटौतियों, भारत कटौतियों तथा समान उपायों को हटाने के मामले में भावी राजस्व लाभ को निर्दिष्ट करने के लिए आशयित हैं। अनुमान एक अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। ये मानते हुए तैयार किए जाते हैं कि अंतर निहित कर आधार ऐसे उपायों को हटाने के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। चूंकि आर्थिक कारकों का व्यवहार समग्र आर्थिक गतिविधि अथवा अन्य सरकारी नीतियां विशिष्ट कर प्राथमिकता के उन्मूलन के साथ परिवर्तित हो सकती हैं, राजस्व प्रभाव उस सीमा तक भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन का प्रभाव पृथक रूप से यह मानते हुए निर्धारित किया जाता है कि सभी अन्य कर प्रावधान अपरिवर्तित हैं। तथापि, अनेक कर रियायतें एक दूसरे के साथ परस्पर क्रियाशील रहती हैं। अतः, कर प्रोत्साहनों का परस्पर प्रभाव प्रत्येक प्रावधान के लिए अनुमानों और प्रस्तावों को जोड़कर परिगणित कर व्यय से भिन्न हो सकते हैं।

तथापि, राजस्व प्रभाव कर व्यय के अर्थों में मात्रात्मक रूप दिया गया है, इसका संकेत यह नहीं होता है कि राजस्व की यह मात्रा सरकार द्वारा माफ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इन्हें कतिपय क्षेत्रों के संवर्धन के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। समान मामलों में, आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप जो ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित किए गए हैं, वे वास्तव में, निष्पादित नहीं किए जा सके हैं या ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में मात्रा में अपेक्षाकृत निम्न हो सकते हैं। विभिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय अनुमान के लिए अपनाई गई मान्यताएं और क्रिया विधि इस विवरण में संगत स्थानों पर निर्दिष्ट हैं।

प्रत्यक्ष कर

अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम में निर्यातों को बढ़ावा देने; संतुलित क्षेत्रीय विकास; अवसंरचना सुविधायों का सृजन; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र; व्यक्तियों द्वारा बचतों को प्रोत्साहन और दान के लिए चंदा देने के लिए कर प्रोत्साहनों के संबंध में व्यवस्था है। अभिवृद्ध मूल्यहास पूंजीगत निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में भी प्रदान किया गया है। इनमें से अधिकांश कर लाभों का कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा उठाया जा सकता है। इस विवरण में कारपोरेट क्षेत्र; गैर-कारपोरेट क्षेत्र (फर्मों, व्यक्तियों के संगठन, व्यक्तियों के निकाय इत्यादि); और व्यक्तियों/एचयूएफ करदाताओं के संबंध में पृथक रूप से कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने के प्रयास किए हैं। धर्मार्थ अथवा सामाजिक प्रयोजन वाले कार्यकलापों में लगे निकायों का ब्यौरा भी “धर्मार्थ निकाय” शीर्ष के अंतर्गत पृथक रूप से प्रदान किया गया है। वे शीर्ष जिनके अंतर्गत राजस्व प्रभाव अनुमानित किया गया है, कंपनियों और फर्मों इत्यादि के लिए व्यापक रूप से समान है। तथापि, व्यक्तियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्ष भी शामिल किए गए हैं चूंकि ये केवल उनके लिए विशेष हैं। कारपोरेट क्षेत्र के लिए विवरण भी विभिन्न लाभ स्लेब में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के प्रसार का विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों का एक क्षेत्रीय विश्लेषण करने का भी प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 एक असाधारण वर्ष था जिसके दौरान भारत सहित विश्व अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 महामारी के प्रभावों के कारण लड़खड़ा गई थीं। जारी संकट के आलोक में करदाताओं की अनुपालन भार को सरल करने के लिए, कराधान और अन्य विधियां (कतिपय प्रावधानों की शिथिलता और संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से, निर्धारण वर्ष (एवाई) 2020-21 के लिए आयकर विवरणियों की फाइलिंग संबंधी नियत तिथियां 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ा दी गई थीं। दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 88/2020 के जरिए, आयकर विवरणियों की फाइलिंग की देय तिथियों को उन गैर-कारपोरेट करदाताओं और गैर-करदाताओं के मामले में जिनके लिए अपनी बहियों को लेखापरीक्षित कराना अपेक्षित नहीं है, 31 दिसम्बर, 2020 तक और बढ़ा दिया गया था तथा कारपोरेट करदाताओं और करदाताओं के मामले में 31 दिसम्बर, 2020 तक जिनके लिए आयकर अधिनियम की धारा 44कख के अधीन अपनी लेखाबहियों को लेखापरीक्षित कराना अपेक्षित नहीं है, बढ़ा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या 2020 की 93 के जरिए, निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को पुनः क्रमशः 10 जनवरी, 2021 और 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ाया था। चूंकि बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए विवरणी को प्रस्तुत करने संबंधी निर्धारित तिथि जिनके मामले में, कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव अधिकतम है 1 फरवरी, 2021 से आगे बढ़ा दिया गया है, वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2019-20 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव इस विवरण में सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार, 30.11.2020 तक निर्धारण वर्ष 2019-20 (आयकर अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4) और (5) के अंतर्गत फाइल की गई विवरणी सहित) के लिए फाइल की गई सभी विवरणियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान के रूप में तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कर वृद्धि दर का उपयोग करके प्रस्तावित किया गया है।

क. कारपोरेट क्षेत्र

बड़े उद्योग घराने मुख्यतः कंपनियों के रूप में संगठित हैं। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 (अर्थात् निर्धारण वर्ष 2019-20) के लिए 30 नवम्बर, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 8,85,289 कारपोरेट विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय की अपनी विवरणी को फाइल करना अपेक्षित है। इन कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की अपनी आय के लिए 5,00,303.35 करोड़ रुपए (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित) की कारपोरेट कर देयता सूचित की है इन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान देय लाभांश वितरण कर¹ के रूप में 45,947.99 करोड़ रुपए भी सूचित किए। इन्होंने शेयरों की वापस खरीद पर कर के रूप में 1,015.23 करोड़ रुपए भी सूचित किए।

कर व्यय को कर व्यय के अनुमान के प्रयोजनार्थ, इन 8,85,289 कंपनियों से संबंधित डाटा विश्लेषण के लिए डाटाबेस से लिया गया था और इस विवरण की सारणी 1 से 5 और परिशिष्ट में विस्तार से दिया गया है। **सारणी 1** विवरण सभी लाभों में इन कंपनियों के विवरण हैं। डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:

- 13,70,423.58 करोड़ रुपए की (कर योग्य आय) करों और कुल आय² से पूर्व लाभों के रूप में 4,30,385 कंपनियों (48.62 प्रतिशत) ने 17,98,695.39 करोड़ रुपए सूचित किए।
- हानियों के रूप में 4,17,986 कंपनियों (47.21 प्रतिशत) ने 10,00,023.70 करोड़ रुपए सूचित किए।
- 36,918 कंपनियों ने (4.17 प्रतिशत) शून्य लाभ सूचित किया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 (वित्तीय वर्ष 2017-18 में सूचित 29.49 प्रतिशत की दर के विरुद्ध) के लिए कंपनियों के संपूर्ण बेस की **प्रभावी कर दर³ सूचित किया गया लाभ 27.81 प्रतिशत⁴** था। जबकि सांविधिक कर दर एक करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 31.20

¹ वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से, लाभांश वितरण कर बंद कर दिया गया है और 01 अप्रैल, 2020 से, लाभांश शेयरधारकों पर कर लगाया जा रहा है।

² आयकर विवरणियों में “कुल आय” शब्द कर योग्य आय जैसा कि सामान्य संदर्भ में इंगित होगा।

³ कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व (पीबीटी) कुल करों (सरचार्ज और शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर को शामिल करते हुए) लाभों का अनुपात है और प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

⁴ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 30.37 प्रतिशत थी।

प्रतिशत थी, दस करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत जिसके परिणामस्वरूप औसत सांविधिक दर 34.58 प्रतिशत⁵ है। 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की करों (इसके पश्चात पीबीटी) से पूर्व लाभों वाली कंपनियां, जिनकी कुल पीबीटी का कुल 59.30 प्रतिशत था और कुल कारपोरेट आयकर देयता कुल 55.25 प्रतिशत थी। लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के संपूर्ण बेस के लिए 27.81 प्रतिशत की प्रभावी दर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 29.49 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की अपेक्षा निम्न है।

500 करोड़ रुपए से अपेक्षाकृत अधिक पीबीटी वाली कंपनियों का औसत प्रभावी कर दर 25.91 प्रतिशत है जो 500 करोड़ रुपए से पूर्व लाभ वाली सभी कंपनियों से कम है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियां अपेक्षाकृत अधिक छोटी कंपनियों के सापेक्ष उच्चतर कटौतियां और प्रोत्साहनों का लाभ ले रही हैं। इसका पीबीटी के लिए कुल आय के अनुपात द्वारा भी समर्थन किया गया है। 0-1 करोड़ रुपए के बीच की पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में, यह अनुपात 93.41 प्रतिशत है जबकि 500 करोड़ रुपए से अपेक्षाकृत अधिक पीबीटी वाली कंपनियों के मामले में, यह 72.83 प्रतिशत है। निम्नतर अनुपात निर्दिष्ट करता है कि अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियां अपेक्षाकृत लघु कंपनियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा और प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त कर रही हैं।

**सारणी 1: कर पूर्व लाभों की रेंज में कंपनियों का विवरण
(वित्तीय वर्ष 2018-19) (कंपनियों की संख्या 7,90,537)**

क्र. सं.	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कारपोरेट आय-कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय एवं कर पूर्व लाभों का अनुपात (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में) (लाभ एवं कर अनुपात)
1.	शून्य से कम	4,17,986	0.00	0.86	0.88	0.00	0.00
2.	शून्य	36,918	0.00	10.07	3.40	0.00	0.00
3.	0-1 करोड़ रुपए	3,77,730	2.59	2.82	2.47	93.41	26.57
4.	1-10 करोड़ रुपए	41,586	7.07	7.26	6.72	87.79	26.43
5.	10-50 करोड़ रुपए	7,830	9.30	9.06	9.24	83.29	27.63
6.	50-100 करोड़ रुपए	1,379	5.34	4.75	5.35	76.11	27.86
7.	100-500 करोड़ रुपए	1,437	16.39	14.68	16.70	76.61	28.33
8.	500 करोड़ रुपए से ज्यादा	423	59.31	50.49	55.25	72.83	25.91
सभी कंपनियां		8,85,289	100	100	100	85.54	27.81*

* उच्च प्रभावी कर दर कर पूर्व शून्य लाभवाली कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए करों में फैक्टरिंग के कारण है।

सारणी 2 प्रभावी कर दरों में सैम्पल कंपनियों का विवरण देती है। यह नोट किया गया है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 5,42,490 कंपनियों का कर-पूर्व कुल लाभ 22.42 प्रतिशत, कुल कर योग्य आय 8.24 प्रतिशत तथा कुल कर का 7.63 प्रतिशत बनता है। अन्य शब्दों में, बहुत सी कंपनियों (5,32,805 अर्थात 60.18 प्रतिशत) ने अपने लाभों की तुलना में गैर-समानुपातिक रूप से कर की कम राशि दी है। दिलचस्प बात यह है कि 28.19 प्रतिशत कुल लाभों वाली तथा 38.13 प्रतिशत कुल कर वाली 34,768 कंपनियों की प्रभावी कर दर है जो लगभग 34.58 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के बराबर है। इससे पता चला है कि कंपनियों की कर देनदारी असमान रूप से बंटी हुई है। यह संविधि में मुख्यतः विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

सारणी 2: प्रभावी कर दरों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कंपनियों की संख्या	लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम और शून्य	4,37,567	0.00	0.96	0.91
2	0-20	95,238	22.42	8.24	7.63
3	20-25	46,086	19.07	18.92	22.92
4	25-30	1,84,520	19.49	20.97	18.85
5	30-33	50,192	10.83	12.10	11.56
6	>33	34,768	28.19	38.77	38.13
7	अनिर्धारित (पीबीटी = 0)	36,918	0.00	0.00	0.00
जोड़		8,85,289	100	100	100

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

⁵ एक करोड़ रुपए तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में औसत सांविधिक कर दर 31.20 प्रतिशत की कर दर का भारत औसत, 10 करोड़ तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.38 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 34.94 प्रतिशत तैयार की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 250 करोड़ रुपए तक कारोबार वाली कतिपय कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत की दर का प्रभाव लेने के पश्चात अपेक्षाकृत कम होगी।

सारणी 3 पब्लिक कंपनियों (केवल पीएसयू) के प्रभावी कर दर की प्राइवेट कंपनियों के प्रभावी कर दर से तुलना करती है। हालांकि दोनों श्रेणियों के लिए प्रभावी दर सांविधिक दर से कम है, परन्तु प्राइवेट कंपनियों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की अपेक्षा अपने लाभों का कुछ अधिक अनुपात कर के रूप में भुगतान करती हैं।

सारणी 3: पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में कंपनियों की प्रभावी कर दर* (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी दर (प्रतिशत में) [लाभ और कर का अनुपात]
1.	पब्लिक #	212	17.96	14.30	22.73
2.	प्राइवेट	8,85,077	82.04	85.70	28.93
कुल कम्पनियां		8,85,289	100	100	27.81

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

अपनी संबंधित विवरणियों में निर्धारित कंपनियों (पीएसयू के रूप में) द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर।

सारणी 4 कंपनियों के संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र की 28.17 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों की प्रभावी कर दर ज्यादा है जो 27.21 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 34.58 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर* (वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी दर (प्रतिशत में) [लाभ और कर का अनुपात]
1.	विनिर्माण	1,33,691	37.78	36.96	27.21
2.	गैर-विनिर्माण	7,51,598	62.22	63.03	28.17
कुल कम्पनियां		8,85,289	100	100	27.81*

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रस्ताव के अर्थों में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय के ब्यौरे को दर्शाती है। यह विश्लेषण 30, नवम्बर, 2020 तक दायर की गई कारपोरेट विवरणियों पर आधारित है जिसमें निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए फाइल सभी विवरणियां शामिल है। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई कर छूट का राजस्व प्रभाव प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.58 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर दर लागू करके परिकलित किया गया है। त्वरित मूल्य ह्रास का राजस्व प्रभाव, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती/भारित कटौती का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ/हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त मूल्यह्रास/कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। इसके बाद कर व्यय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए इस अंतर पर 34.58 प्रतिशत की औसत कारपोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का दूसरा पक्ष कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है जब करदाता, कर संविधि के अंतर्गत उच्च कटौतियों की अनुमति मिलने के कारण कम समयावधि में कटौती के रूप में किसी भत्ते (अर्थात् मूल्यह्रास भत्ते) का दावा करके अपनी कर देनदारी को आस्थगित करने में सक्षम होता है जबकि वह अपने खाते में बहुत से वर्षों से उसी मूल्यह्रास दावे को डाल रहा होता है। चूंकि मूल्यह्रास में नकद व्यय जरूरी नहीं होता है, अतः यह कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर संविधि के अंतर्गत कंपनियों पर एमएटी (कुछ सामंजस्यों के अध्यक्षीन) अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा सूचित लाभ पर, देनदारी (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 20.90 प्रतिशत की दर पर जिसमें दर्ज लाभों पर उपकर और अधिभार का समावेश है) में तेजी लाता है, यदि यह देनदारी सामान्य दरों पर परिकलित कर देनदारी से अधिक है। एमएटी के कारण अधिक देनदारी बाद के उस वर्ष में (15 वर्षों तक) क्रेडिट के रूप में अनुमत है जिसमें सामान्य कर देनदारी एमएटी से अधिक है। अतः एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर भावी कर देनदारी का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यह्रास के दावों के कारण करों की आस्थगन अवधि को सीमित करता है तथा लंबी समयावधि में समान दावे को जमा करके अन्य कटौतियों जैसे लाभ से संबंधित कटौतियों के राजस्व प्रभाव को नियंत्रित करता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को वर्ष के लिए अनंतिम राजस्व संग्रह के अनुसार 2019-20 में कारपोरेट कर वृद्धि के साथ गुणा करके 2018-19 के लिए अनुमान लगाया गया है। कराधान नियम (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से घरेलू कम्पनियों (मौजूदा एवं नई दोनों) को इस शर्त पर कराधान का निम्नतर दर चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है कि उनके द्वारा कोई भी छूट या प्रोत्साहन नहीं लिया गया हो। चूंकि इस विकल्प का लाभ उठाने वाली कम्पनियों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, अतः इस विवरण में ऐसे विकल्प के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान को दर्शाती है।

सारणी 5: कारपोरेट करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 [कंपनियों की संख्या-8,85,289]

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]
1.	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभों की कटौती (धारा 10कक)	23,261.26	21,481.71
2.	त्वरित मूल्यहास (धारा 32)	54,414.40	50,251.56
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2कक) और (2कख)	8,094.08	7,474.87
4.	विशिष्ट कारोबार के संदर्भ में कटौती (धारा 35कघ)	4,333.03	4,001.54
5.	धर्मार्थ न्यासों और संस्थानों को दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	2,473.46	2,284.23
6.	राजनीतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80छछख)	801.58	740.25
7.	अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	5,722.23	5,284.46
8.	एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	533.65	492.83
9.	दूर संचार सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	1.43	1.32
10.	विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	15,513.02	14,326.23
11.	विद्युत संयंत्र के पुनरूद्धार में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1क)	87.76	81.04
12.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1कख)	1,098.62	1,014.57
13.	जम्मू और कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1ख)	69.19	63.89
14.	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों में लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	2.20	2.03
15.	औद्योगिक उपक्रमों को खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	1,535.60	1,418.12
16.	औद्योगिक उपक्रमों को आवासीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	34.80	32.14
17.	औद्योगिक उपक्रमों को कोल्ड चैन सुविधा के प्रचालन से होने वाले लाभों में (धारा 80-1ख)	12.31	11.36
18.	औद्योगिक उपक्रमों को खाद्यान्नों के हैंडलिंग, स्टोरे और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से होने वाले लाभों में (धारा 80-1ख)	7.18	6.63
19.	औद्योगिक उपक्रमों को फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	292.23	269.87
20.	औद्योगिक उपक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल से होने वाले लाभों में छूट (धारा 80-1ख)	0.60	0.55
21.	आवासीय परियोजनाओं से लाभों और आय में छूट (धारा 80-1खक)	187.96	173.58
22.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-1ग)	1,463.50	1,351.54

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपए में) [2019-20]
23.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-IG)	2,473.52	2,284.28
24.	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-IG)	1,378.12	1,272.69
25.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों में छूट (धारा 80-IG)	376.69	347.87
26.	बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से होने वाले लाभों में छूट (धारा 180जजक)	12.15	11.22
27.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में छूट (धारा 180जजकक)	1,330.78	1,228.97
28.	ऑफसोर बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में छूट (धारा 80ठक)	380.43	351.33
	कुल	1,25,891.78	1,16,260.68
	घटाए-एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देनदारी	36,185.96	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट को घटाकर	18,407.22	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	17,778.74	16,418.62
	कुल परिव्यक्त राजस्व	1,08,113.04	99,842.06

चूंकि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (विशिष्ट रूप से एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर का आंकड़ा) विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित किया गया था जो ₹1,39,486.12 करोड़ था, अब यह वास्तव में ₹1,25,891.78 करोड़ पर परिकलित किया गया है। एमएटी के परिणाम के रूप में संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहनों की वास्तविक राजस्व देयता विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित ₹1,08,785.41 करोड़ के कर व्यय के सापेक्ष ₹1,08,113.04 करोड़ कम है। शीर्ष अभिवृद्ध मूल्य ह्रास है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों की उच्चतम राशि (₹54,414.40 करोड़) दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष आर्थिक जोनों (एसईजे) में स्थित इकाइयों, विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों, अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों, विनिर्दिष्ट व्यवसाय (क्र.सं. 4) तथा वैज्ञानिक अनुसंधान (क्र.सं. 3) पर प्राप्त की गई छूटें कुल कर प्रोत्साहन का बहुत बड़ा भाग है।

कंपनियों के प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज पर, यूरेनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर अलौह धातु अयस्कों के खनन के लिए प्रभावी कर दर 14.98 प्रतिशत है। इसी तरह, वस्त्र विनिर्माण (हथकरघा छोड़कर) और बिजली उत्पादन, संग्रहण तथा संचितरण के लिए प्रभावी कर दर क्रमशः 17.66 प्रतिशत और 19.11 प्रतिशत है जो कि औसत प्रभावी कर दर से कम है। अन्य क्षेत्र जिनकी प्रभावी कर दरों की तुलना में कर दरें न्यूनतम हैं, ये हैं- भवनों की खरीद, बिक्री और लिजिंग (आवासीय और गैर-आवासीय) (16.85 प्रतिशत), हवाई परिवहन (18.12 प्रतिशत), अन्य कृषि, पशुपालन तथा वानिकी (13.18 प्रतिशत), अन्य संपदा/भाड़ा सेवाएं (18.68 प्रतिशत)।

ख. गैर-कार्पोरेट क्षेत्र (फर्म/एओपी/बीओआई आदि)

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़ा व्यवसाय साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ (एओपी) या व्यष्टियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी संगठित है। इन पर कर व्यय इतना बड़ा नहीं होता जितना कि कंपनियों के मामलों में होता है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2018-19 की आय के लिए 30 नवम्बर, 2020 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज 15,45,987 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। कर व्यय का आकलन करने के उद्देश्य से इन 15,45,987 फर्मों/एओपी/बीओआई के आंकड़ों का डाटा बेस से छांटा गया है। ये सभी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में फर्मों/एओपी/बीओआई की दुनिया द्वारा प्रदत्त कुल कर के बहुत बड़े भाग के लिए उत्तरदायी हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:-

- * समूची फर्मों/एओपी/बीओआई ने ₹2,13,909.08 करोड़ के कर पूर्व लाभों की जानकारी दी और ₹2,06,591.98 करोड़ की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। हानियों की रिपोर्ट 2,81,081 विवरणियों के द्वारा दी गई थी जो कि कुल का 18.18 प्रतिशत है।
- * इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए देय आयकर (शिक्षा उपकर सहित) के रूप में ₹63,616.66 करोड़ की जानकारी दी।

फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत की राजस्व देयता को प्रत्येक छूट (कटौती) की राशि पर 31.26 प्रतिशत (एक करोड़ से कम की आय वाली फर्मों के लिए 31.20 प्रतिशत तथा एक करोड़ से अधिक की आय वाली फर्मों के लिए 34.94 प्रतिशत की दर लेते हुए परिकलित की गई भारत औसत दर) की आय कर दर लागू करते हुए परिकलित किया गया है। त्वरित मूल्यहास के कारण कर व्यय; वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती को सर्वप्रथम फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि के खातों से घटाए गए मूल्यहास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत अनुमत्य मूल्यहास/कटौती के बीच के अंतर का निर्धारण करके परिकलित किया गया है। इसके पश्चात् 31.26 प्रतिशत की आयकर दर इस अंतर पर प्रयुक्त की जाती है और प्रत्येक कर प्रोत्साहन के राजस्व प्रभाव का आकलन किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन की राजस्व देयता के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व देयता का प्रेक्षण किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए अनुमान को, वर्ष 2019-20 में संग्रहित आयकर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार आयकर संग्रहणों और वर्ष 2018-19 में संग्रहित वास्तविक आयकर के बीच का अनुपात निकालकर और फिर इसी अनुपात को वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण होने वाले कर व्यय पर लागू करके निकाला गया है।

सारणी 6 में वित्तीय वर्षों 2018-19 के दौरान कर व्यय और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रेक्षण के अर्थों में गैर-कार्पोरेट करदाताओं पर बड़े कर-व्ययों को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की तरह, सहकारी सोसायटियों के लाभों की कटौती के कारण कर व्यय उच्चतम स्तर पर बना रहा जो कुल राजस्व देयता का 54.26 प्रतिशत रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह मात्र 56.27 प्रतिशत था। त्वरित मूल्यहास और सेज में स्थापित यूनितों (धारा 10कक) के कारण कर व्यय कुल राजस्व परित्यक्त का क्रमशः 11.56 प्रतिशत और 10.92 प्रतिशत था।

गैर-कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात् फर्मों; एओपी/बीओआई के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का कुल कर व्यय ₹6,804.28 करोड़ बनता है।

सारणी 6: गैर कार्पोरेट (फर्मों/एओपी/बीओआई) करदाताओं के लिए वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 के बड़े कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव	अनुमानित राजस्व
		(₹करोड़) [2018-19]	प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
1.	एसईजेड में अवस्थित इकाइयों के निर्यात लाभों पर छूट धारा (धारा 10कक)	743.36	686.49
2.	द्रुत मूल्यहास (धारा 32)	786.94	726.74
3.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(ड), (2कक) और (2कख))	11.30	10.43
4.	विनिर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती 35कघ	54.13	49.99
5.	चेरीटेबल ट्रस्टों और संस्थानों को दिए गए दानों पर छूट (धारा 80छ)	117.13	108.17
6.	राजनीतिक पार्टियों को दिए गए अंशदानों पर छूट (धारा 80छगग)	41.22	38.07
7.	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80Iक)	197.97	182.82
8.	एसईजेड के विकास और औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iक)	23.59	21.79
9.	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iक)	379.53	350.50
10.	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभ पर छूट (धारा 80-Iक)	4.17	3.85
11.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	44.93	41.50
12.	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	5.38	4.97
13.	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-Iख)	0.03	0.02
14.	पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूट कटौती (धारा 80-Iख)	0.02	0.02
15.	औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आवासीय परियोजनाओं से अर्जित किए गए लाभों पर छूट (धारा 80-Iख)	55.69	51.43
16.	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-Iख)	3.10	2.87

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
17	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित कारोबार से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-झख)	6.20	5.73
18.	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिवहन और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-खक)	26.53	24.51
19.	आवासीय परियोजनाओं से लाभों की कटौती (धारा-80-खक)	126.47	116.80
20.	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-ग)	232.19	214.42
21.	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-जजकक)	45.24	41.78
22.	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-जजकक)	71.75	66.26
23.	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-जजकक)	104.17	96.20
24.	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंकरण के कारोबार से प्राप्त लाभ की कटौती (धारा-80-जजकक)	10.24	9.46
25.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा-80-जजकक)	19.99	18.47
26.	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) तथा अंतरराष्ट्रीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के कतिपय आय के संबंध में कटौती (धारा-80-ठक)	1.08	1.00
27.	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संदर्भ में कटौती (धारा 80प)	3,692.03	3,409.58
जोड़		6,804.28	6,283.87

ग. व्यक्ति/हिंदू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क में कतिपय भुगतानों और कतिपय आयों पर कटौती की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति/एचयूएफ) करदाता इन कटौतियों के दावे के लिए पात्र हैं तथा उनके लिए अनेक कर विकल्प उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक करदाता अपनी आय वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ आधारित कटौती (अर्थात् कतिपय कारोबार से प्राप्त आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर वैतनिक व्यक्ति दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा कर सकते हैं।

व्यक्ति करदाताओं को अनुमेय कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है। आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव को व्यक्तियों द्वारा आयकर विभाग में 30 नवम्बर, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत 6,53,88,044 विवरणियों में कर विकल्पों के विभिन्न दावों के आधार पर परिकलित किया गया है। जैसा कि पहले बताया गया है वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण अधिनियम के अंतर्गत संशोधन या विलंबित विवरणी को प्रस्तुत करने की तिथि को 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया था। तदनुसार निम्नलिखित सारणी 7 में अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के अधीन कर प्रभाव को दर्शाया गया है जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 (मूल्यांकन वर्ष 2019-20 से संबंधित) के लिए व्यक्तिगत रूप में भरी गई सभी विवरण शामिल है। अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौतियों के अलावा वित्त वर्ष 2018-19 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य भारी कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष अथवा अधिक आय वाले व्यक्ति) के लिए धारा 87A के अंतर्गत 5212.10 रुपये की छूट के साथ 3,00,000 रुपये की उच्चतम बुनियादी छूट सीमा और वरिष्ठतम नागरिकों (80 वर्ष अथवा अधिक आय वाले व्यक्ति) के लिए 5,00,000 तक बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

कुल 6,53,88,044 आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:-

- ऊपर उल्लिखित के अनुसार (सारणी 7 की क्रम संख्या 26 और 27) उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के राजस्व प्रभाव को प्रति वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठतम नागरिकों के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या के साथ गुना करके परिकलित किया गया है। इन विवरणियों के आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 10.55 प्रतिशत विवरणियां और अति वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 0.62 प्रतिशत विवरणियां प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच अंतर पर विचार करते हुए और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को प्रयुक्त करते हुए परिकलित किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 2,600 रुपये (उपकर सहित) है। वरिष्ठतम नागरिकों के लिए, 5,00,000 लाख की छूट सीमा तथा ऐसी आय पर आकलित कर 13,000 रुपये (उपकर सहित) बनता है जिसका भुगतान 60 वर्ष से कम आय वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है। प्रत्येक वरिष्ठतम नागरिक के संदर्भ में इसे राजस्व प्रभाव माना गया है।

(ii) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। 2019-20 के लिए अनुमान वर्ष 2018-19 के लिए संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर के अनुपात का परिकलन करने के पश्चात् और वित्त वर्ष 2018-19 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को प्रयुक्त करके किया गया है। धारा 87 के अंतर्गत छूट के इस मामले को छोड़कर जिसका अंतरिम बजट 2019 में अनुमानित राजस्व हानि के आधार पर अनुमान लगाया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार, सारणी 7 में वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कर व्यय के संदर्भ में व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का चित्रण किया गया है।

**सारणी 7 : व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20**

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
1.	कतिपय निवेश और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	70,798.44	65,382.18
2.	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	300.25	277.28
3.	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघ)	4,051.26	3,741.33
4.	आरजीईएसएस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80गगछ)	52.28	-
5.	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80घ)	4,774.93	4,409.64
6.	दिव्यांग आश्रित की चिकित्सा पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	696.96	643.64
7.	विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा उपचार पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	718.49	663.52
8.	उच्चतर शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ङ)	837.90	773.80
9.	रिहायशी आवास संपत्ति हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ङङ)	302.42	279.29
10.	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को किए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	1,062.18	980.92
11.	आवास के लिए प्रदत्त किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,945.02	1,796.22
12.	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	16.16	15.34
13.	राजनैतिक पार्टियों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	402.18	371.42
14.	अवसंरचना सुविधाओं, एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास, बिजली निर्माण तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्य में लगे उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	93.92	86.74
15.	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	0.25	0.23
16.	आवासीय परियोजनाओं के लाभों की कटौती (धारा 80झकघ)	15.49	14.28
17.	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन लाभ कमाने वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा जम्मू और कश्मीर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	24.14	22.32

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2019-20]
18.	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	89.06	82.25
19.	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80ञकक)	6.28	5.80
20.	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80ञककक)	5.57	5.14
21.	पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रायल्टी आय की कटौती (धारा 80थथख)	11.46	10.59
22.	पेटेंट पर रायल्टी आय की कटौती (धारा 80ददख)	0.46	0.42
23.	बचत खाते पर ब्याज की कटौती (धारा 80ननक)	1,173.29	1,083.53
24.	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80प)	459.39	424.24
25.	धारा 87क के अंतर्गत रिबेट	5,212.10	23,313.36
26.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	1,794.00	1,656.75
27.	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	532.90	492.14
जोड़		95,376.78	1,06,532.40

विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी तथा बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत शामिल हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण राजस्व प्रभाव व्यष्टि करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद 5 लाख रुपये तक आय वाले निवासी भारतीयों के मामले में कर पर छूट, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती और नई पेंशन योजना का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों तथा अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के मामले में उच्च कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-जक और 80-जग के कारण है।

घ. धर्मार्थ निकाय

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा निधि पोषित धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्य में लगे निकाय सहित विभिन्न निकायों को छूट देने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय क्रिया-कलापों में लगे निकायों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन निकायों को दान स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रिया-कलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसे निकायों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन निकायों के लिए आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 30 नवम्बर, 2020 तक ऐसे निकायों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 2,26,531 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसे निकायों द्वारा आवेदित कुल राशि 7,35,971.49 करोड़ रुपए है।

परिशिष्ट

उद्योगों के बीच अधिभार और शिक्षा उपकर सहित कम्पनियों की प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2018-19) (कम्पनियों की संख्या - 8,85,289)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
1.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	4,209	1,429.40	326.00	22.81
2.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कुकुट और अण्डा उत्पादन बढ़ाना	618	1,136.08	353.47	31.11
3.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय की खेती और विनिर्माण	1,177	756.02	187.81	24.84
4.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	अवर्गिकृत सहित अन्य	7,488	3,423.94	451.37	13.18
5.	मत्स्य पालन	मत्स्य पालन	256	56.06	17.29	30.84
6.	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजा पाना संबंधी मत्स्य, मत्स्य हैचरी और मत्स्यपालन	90	18.30	5.19	28.36
7.	मत्स्य पालन	अन्य	372	230.28	72.73	31.59
8.	खनन और उत्खनन	कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	136	52,349.19	13,041.94	24.91
9.	खनन और उत्खनन	खनन और कठोर कोयले का संचयन	181	39,566.97	9,457.34	23.90
10.	खनन और उत्खनन	यूरेनियम और थोरियम अयस्क को छोड़कर अधात्विक अयस्क का खनन,	50	15,769.74	2,361.59	14.98
11.	खनन और उत्खनन	लोह अयस्क का खनन	202	7,052.86	2,057.00	29.17
12.	खनन और उत्खनन	अन्य	3,460	9,082.34	2,677.14	29.48
13.	विनिर्माण	परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	323	100,800.41	21,392.40	21.22
14.	विनिर्माण	भेषज, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण	5,723	61,488.54	16,261.34	26.45
15.	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	319	39,620.55	11,878.56	29.98
16.	विनिर्माण	मोटर वाहनों और इंजनों के कलपूजों और सहायक कलपूजों का विनिर्माण	3,160	33,299.92	9,881.34	29.67
17.	विनिर्माण	इस्पात उत्पादन का विनिर्माण	3,984	52,702.41	11,368.61	21.57
18.	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	3,682	26,935.02	7,909.12	29.36
19.	विनिर्माण	तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण	355	20,261.03	6,150.59	30.36
20.	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हस्तकरघा द्वारा निर्मित को छोड़कर)	8,668	24,357.94	4,302.71	17.66
21.	विनिर्माण	विद्युत मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	2,124	14,183.00	3,815.79	26.90
22.	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और पलस्तर का विनिर्माण	672	14,475.36	3,508.73	24.24
23.	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	3,691	17,590.44	5,967.85	33.93
24.	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार उपकरणों और उपकरणों का विनिर्माण	242	4,755.54	1,724.40	36.26
25.	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	282	1,822.06	485.01	26.62
26.	विनिर्माण	उर्वरकों और नाइट्रोजन मिश्रणों का विनिर्माण	1,013	7,471.76	1,968.09	26.34
27.	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1,119	7,842.83	2,084.71	26.58
28.	विनिर्माण	पेंट्स, रंग-रोगन और इसी प्रकार के कोटिंग का विनिर्माण	717	6,025.62	1,790.89	29.72

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
29.	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2,970	4,952.88	1,321.42	26.68
30.	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2,504	6,217.64	1,650.94	26.55
31.	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	215	4,799.30	1,531.01	31.90
32.	विनिर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	91,928	2,29,916.72	69,955.67	30.43
33.	बिजली, गैस और पानी	बिजली उत्पादों, संग्रहण और वितरण	4,747	54,681.34	10,450.90	19.11
34.	बिजली, गैस और पानी	गैस का विनिर्माण और वितरण	261	10,928.99	3,002.85	27.48
35.	बिजली, गैस और पानी	पानी का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण	130	48.94	15.35	31.36
36.	बिजली, गैस और पानी	अन्य अनिवार्य वस्तु सेवाएं एन.ई.सी.	2,194	718.51	134.23	18.68
37.	निर्माण	सड़कों, रेलों, पुलों, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाहों, रनवेज आदि का निर्माण और रखरखाव	4,737	25,572.12	6,880.60	26.91
38.	निर्माण	भवन का पूर्ण निर्माण या भाग सिविल संविदाकार	18,650	12,651.83	3,818.14	30.18
39.	निर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	47,610	26,281.49	7,328.61	27.89
40.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	स्थावर संपदा का विकास और लॉट में उपविभाजन	9,303	5,634.29	1,578.90	28.02
41.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अपने स्वामित्व के भवनों के स्थावर संपदा का प्रचालन (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	3,384	5,015.74	1,218.76	24.30
42.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	भवनों की खरीद बिक्री और पट्टे पर देना (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	5,858	3,447.57	580.84	16.85
43.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	शुल्क या संविदा आधार पर स्थावर संपदा संबंधी क्रिया-कलाप	5,967	1,530.61	424.60	27.74
44.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अन्य स्थावर संपदा/किराए पर देने की सेवाएं एन.ई.सी.	36,578	14,413.54	3,045.77	21.13
45.	मशीनरी को किराए पर देना	मशीनरी को किराए पर देना	1,954	1,032.97	297.95	28.84
46.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर कलपूर्जों और सहायक पूर्जों की थोक और खुदरा बिक्री	1,304	11,333.49	3,288.64	29.02
47.	थोक और खुदरा व्यापार	इलेक्ट्रॉनिक पूर्जों और उपकरणों की थोक बिक्री	3,050	3,023.04	1,019.11	33.71
48.	थोक और खुदरा व्यापार	कपड़ों, परिधान, जूते-चप्पल, चमड़ा सामानों की खुदरा बिक्री	5,415	3,750.22	1,192.71	31.80
49.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	3,322	2,731.20	806.66	29.53
50.	थोक और खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी और उपकरण की थोक बिक्री और आपूर्ति	2,504	2,100.69	669.82	31.89
51.	थोक और खुदरा व्यापार	अवर्गीकृत को छोड़कर अन्य	1,49,855	65,381.55	19,344.11	29.59
52.	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	18,730	7,541.06	1,997.65	26.49
53.	परिवहन और संचार सेवाएं	हवाई परिवहन	362	1,095.42	198.47	18.12
54.	परिवहन और संचार सेवाएं	सड़क द्वारा मालभाड़ा परिवहन	3,670	3,003.22	886.33	29.51
55.	परिवहन और संचार सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	16,055	15,626.71	4,545.09	29.09

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर (% में)
56.	डाक और दूरसंचार सेवाएं	डाक और दूरसंचार सेवाएं	2,308	23,737.74	6,182.23	26.04
57.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और छूट संस्थाएं	257	95,611.71	38,645.06	40.42
58.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण क्रिया-कलाप	2,230	36,127.77	9,697.82	26.84
59.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	आवास वित्तपोषण क्रिया-कलाप	195	26,140.78	7,317.74	27.99
60.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	46,166	1,93,081.37	50,669.76	26.24
61.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास	21,519	1,42,927.94	37,831.12	26.47
62.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी समर्थित सेवाएं	20,822	47,711.08	15,197.15	31.85
63.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,429	5,953.79	2,004.48	33.67
64.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य	13,804	4,948.79	1,663.55	33.62
65.	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,548	1,128.78	356.78	31.61
66.	पेशा	इंजीनियरी और तकनीकी परामर्शी	4,091	5,008.28	1,771.10	35.36
67.	पेशा	व्यवसाय और प्रबंधन परामर्शी क्रिया-कलाप	6,633	2,720.09	817.90	30.07
68.	पेशा	विज्ञापन	2,474	1,698.53	533.48	31.41
69.	पेशा	वास्तुकला पेशा	996	219.53	65.14	29.67
70.	पेशा	अवर्गीकृत सहित अन्य	24,476	4,348.48	1,344.28	30.91
71.	शिक्षा सेवाएं	कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन	2,625	809.37	234.58	28.98
72.	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	567	242.43	64.95	26.79
73.	शिक्षा सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	7,008	1,549.57	524.32	33.84
74.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1,880	3,110.00	917.92	29.51
75.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	नैदानिक केन्द्र	1,387	1,279.96	404.88	31.63
76.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	2,653	2,009.54	549.50	27.34
77.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	2,043	786.31	222.71	28.32
78.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य	7,323	1,733.00	483.59	27.90
79.	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	2,178	131.66	32.30	24.53
80.	संस्कृति एवं खेलकूद	टेलीविजन चैनल प्रसारण	473	6,619.56	2,288.47	34.57
81.	संस्कृति एवं खेलकूद	चलचित्र निर्माण	1,288	1,212.80	353.38	29.14
82.	संस्कृति एवं खेलकूद	अवर्गीकृत सहित अन्य	4,454	2,913.93	1,014.05	34.80
83.	अन्य सेवाएं	अन्य सेवाएं	2,03,824	96,980.34	30,426.08	31.37
84.	प्रदेश बाह्य संगठन और निकाय	आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग	68	17.57	4.91	27.95
जोड़			8,85,289	17,98,695.39	5,00,303.35	27.81

2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए सीमा शुल्क के लिए कर प्रोत्साहन का राजस्व पर प्रभाव का विवरण (अनुमानित)

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (सामान्यतया इसे बुनियादी सीमा शुल्क-बीसीडी कहा जाता है) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर कतिपय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क भी लगाया जाता है।

2.1 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में व्यक्ति टैरिफ लाइनों के सामने विनिर्दिष्ट इन दरों को सामान्य रूप से “टैरिफ दरें” कहा जाता है। इसके अलावा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियम (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत जो विभिन्न वित्तीय अधिनियमों के अंतर्गत लागू हुए शुल्कों पर भी लागू होती है) केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान करते हैं। ऐसी छूट की अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों को “प्रभावी दरें” कहा जाता है।

2.2 इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(i) सशर्त छूट की अधिसूचनाएं; और

(ii) बिना शर्त छूट की अधिसूचनाएं।

2.3 बिना शर्त छूटों में वस्तु के लिए सामान्य प्रभावी शुल्क की दरें निर्धारित की जाती हैं। यह दर उस वस्तु के सभी आयातों पर बिना किसी शर्त के लागू होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी बिना शर्त प्रभावी छूट वस्तु के लिए एमएफएन दर निर्धारित करती है।

2.4 दूसरी ओर सशर्त छूट, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में उच्चतर टैरिफ दर या एमएफएन दर की तुलना में प्रभावी दरें निर्धारित करती हैं। ऐसी सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट प्रयोजनाओं के लिए होती हैं, उदाहरण के लिए घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन करने, रक्षा संबंधी अधिप्राप्ति आदि। ऐसे मामलों में केवल वैसे आयात जो ऐसी दरों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वही ऐसी प्रभावी दरों के पात्र होते हैं। वैसे भी इन छूटों के परिणामस्वरूप संगत टैरिफ/एमएफएन दर की तुलना में परित्यक्त राजस्व होता है।

2.5 कच्ची सामग्री और निविष्टियों की अधिप्राप्ति के लिए कतिपय छूटें दी गई हैं जो निर्यात माल में जाती हैं। वैसे भी, केवल इन छूटों से निर्यातों के शून्य दर निर्धारण के लिए निर्यात हेतु कर निष्प्रभावी होता है। चूंकि इन रियायतों का लक्ष्य निर्यातों का शून्य दर निर्धारण होता है, बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण इसके परिणामस्वरूप राजस्व परित्यक्त नहीं होता है। तथापि, निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के द्वारा दी गई रियायतों, जिसमें शुल्क स्क्रिप्स के द्वारा निर्यातकों को निर्धारित दर पर प्रोत्साहन (निर्यात मूल्य का %) दिया जाता है, का परिणाम परित्यक्त राजस्व होता है क्योंकि इन स्क्रिप्स द्वारा प्राप्त शुल्क क्रेडिट आयातों पर भुगतान योग्य बुनियादी सीमा शुल्क से इसकी पूर्ति होती है।

3. भारत ने अनेक देशों या देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार करार, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किया है। इसी प्रकार, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार-। पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के तहत भारत ने स्वयं को इस करार के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट माल पर कम दर/छूट के लिए अपने आप को बाध्य किया है। इन अधिमानी प्रशुल्कों को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत भी अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है। सरकारी वचनबद्धताओं के रूप में दिए गए ऐसे अधिमानी प्रशुल्क ऐसे करारों में शामिल आयातों के लिए भी सामान्य रूप से लागू होते हैं।

4. अतः, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि बिना शर्त छूटें और सरकारी वचनबद्धता के रूप में की गई छूटें वास्तव में संबंधित वस्तु के लिए एमएफएन दरें (प्रभावी दर) निर्धारित करती हैं, इसलिए कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का अधिकाधिक समुचित अनुमान केवल सशर्त छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व होगा। इसके अतिरिक्त, निर्यात संबद्ध प्रोत्साहनों के कारण परित्यक्त राजस्व बुनियादी सीमा शुल्क रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व के अंतिम अनुमानों में भी शामिल होते हैं।

5. वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 (अनुमानित) के लिए राजस्व प्रभाव का आकलन : विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज स्थानों पर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दर्ज प्रविष्टि के बिलों से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर आधारित होता है। आईसीईएस की पकड़ में नहीं आए आयातों के कारण परित्यक्त राजस्व का परिकलन करने के लिए बहिर्वेशन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए कुल आयातों का लगभग 95% और 97% (अनुमानित) है।

6.1 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 (अनुमानित) के लिए सीमा शुल्क पर कर रियायतों के राजस्व प्रभाव का परिकलन निम्नानुसार किया जाता है:

सारणी I : आधारभूत सीमा-शुल्क के कारण कर रियायतों का राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2019-2020)	राजस्व प्रभाव (2020-2021) (अनुमानित)
क.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार प्रशुल्क दर से कम अलग अलग दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	-	228293	199319
ख.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार शर्तरहित/तकनीकी बीसीडी छूटों के कारण	-	129405	111575
ग.	ईडीआई आकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के कारण (सारणी II का संदर्भ लें)	-	67559	61938
घ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण ईडीआई स्थान (सारणी III का संदर्भ लें)	-	31329	25806
ङ	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व - ईडीआई+गैर-ईडीआई स्थान	डीएक्स100/एफ ⁴	32978	26604
च.	निविष्टि कर निष्प्रभाव स्कीम के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	22982	22944
छ.	निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	46136	39813
ज.	निवल परित्यक्त शुल्क (सीमा शुल्क टैरिफ रियायत के कारण)	ङ + छ	79114	66417

* एफ बहिर्वेशन कारक है जो आईसीईएस की पकड़ में नहीं आए आयातों को शामिल करने के लिए वर्ष 2019-20 और 2020-21 (अनुमानित) के लिए 95% और 97% के बराबर है।

6.2 वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I ए में क्र.स. ग देखें) के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी - II एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2019-2020)	राजस्व प्रभाव (2020-2021) (अनुमानित)
1	आसियान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	35193	33228
2	कोरिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	7209	5453
3	जापान से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	4548	4250
4.	मलेशिया से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	2603	1451
5.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अन्य तरजीही व्यापार करार, कम विकसित देशों को रियायत से किए गए आयातों के लिए सीमा शुल्क की रियायती दर के कारण	15087	14920
6.	अन्य	2919	2636
	कुल	67559	61938

6.3 वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 (अनुमानित) (ऊपर सारणी I में क्र.स. घ देखें) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी - III सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	शीर्ष	राजस्व प्रभाव (2019-2020)	राजस्व प्रभाव (2020-2021) (अनुमानित)
1	मोबाइल फोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट सामग्री को छूट के कारण (अधिसूचना सं.57/2017- सीमा शुल्क)	7148	7091
2	खनिज ईंधन, खनिज तेल आदि को बीसीडी छूटों के कारण (अधिसूचना सं.52/2017- सीमा शुल्क)	1101	500
3	आईटीए बाध्य सामग्री के विनिर्माण के लिए दी गई बीसीडी छूट के कारण (अधिसूचना सं. 24/2005- सीमा शुल्क तथा 25/2005 -सीमा शुल्क)	462	396
4	सरकार द्वारा अथवा सरकारी विभाग आदि द्वारा वित्तपोषित आयातित अनुसंधान उपकरण को छूट के कारण (अधिसूचना सं. 51/1996-सीमा शुल्क)	285	248
5	अन्य वस्तुओं (क्रम संख्या 1 से 4 पर यथा उल्लिखित वस्तुओं से इतर) के लिए छूट तथा सीमा शुल्क की प्रभावी दरों के कारण	22333	17573
कुल		31329	25808

6.4 वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 (अनुमानित) के ईडीआई आंकड़ों के अनुसार निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर सारणी में क्र.सं. च और छ का संदर्भ लें) का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

सारणी -IV निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव

(₹ करोड़)			
क्र.सं.	स्कीम का नाम	राजस्व प्रभाव (2019-20) (सित.2019 तक)	राजस्व प्रभाव (2020-21) (वार्षिकीकृत)
1.	उन्नत लाइसेंस स्कीम	13666	14385
2	ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड	5690	5797
3	ईपीसीजी	3038	2185
4	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम	588	577
5	भारत स्कीम से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात	38770	23721
6	राज्य और केन्द्रीय कर उगाहियों की छूट	400	9847
7	सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम	6735	6150
8	फोकस बाजार/उत्पाद स्कीम	166	52
9	शुल्क मुक्त पात्रता ऋण प्रमाणपत्र	65	43
10	कुल	69118	62757
11	इनपुट कर निष्प्रभावन अथवा छूट स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (ऊपर क्रम संख्या 1 से 4)	22982	22944
12.	निर्यात सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम रखरखाव निर्यात पर राजस्व प्रभाव (उपर क्रम सं. 5 से 9 तक)	46136	39813

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च, 2021 के अनुसार

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक (अन.) 2019-2020	संशोधित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
क. निधियों के स्रोत :			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां :			
बचत जमा राशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	711686.05	877687.61	1055441.38
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	166001.56	177753.77	198366.86
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	220310.69	251748.47	295883.42
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	31437.78	44134.95	47415.98
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	569611.20	652446.79	741079.40
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	82835.59	88632.61	94521.98
कुल जमा राशियां	1781882.87	2092404.20	2432709.02
वर्ष के दौरान निवल संग्रहण	280274.93	310521.33	340304.82
ख. निधियों का उपयोग :			
31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष			
राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	208419.41	386897.58	780539.54
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	200891.48	439302.21	349438.78
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-22413.31	-45660.25	-91343.37
1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	471206.21	440437.97	415587.97
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	18702.87	20376.39	25000.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-49471.11	-45226.39	-47264.03
प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	335930.60	397452.44	484384.37
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	61521.84	86931.93	133831.60
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	271636.00	366546.00	244348.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	141310.00	99636.00	40000.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-46400.00	-221834.00	-55000.00
भारतीय खाद्य निगम में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	191000.00	254600.00	118712.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	110000.00	84636.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-46400.00	-220524.00	-55000.00
बीएमटीपीसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	8000.00	23000.00	33000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	15000.00	10000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
एमएमटीसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	1310.00	...
वर्ष के दौरान वृद्धि	1310.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-1310.00	...
अन्य सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	72636.00	87636.00	92636.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	15000.00	5000.00	40000.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	1655903.18	1989429.07	2344092.05
कुल निवेश			
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	109461.53	102975.13	88616.97
नकद शेष	16518.16
जोड़	1781882.87	2092404.20	2432709.02

भाग ख

आस्ति और देयता विवरण

1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2020-2021 (सं.अ.) के अंत के 135,86,975.52 करोड़ रुपए की तुलना में 2021-22 के अंत में 121,21,959.24 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	117,39,130.00	131,59,050.28
विदेशी ऋण	3,82,829.24	4,27,925.24
जोड़	121,2१,९५९.२४	135,, *, - +) .52

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए गए ऋण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निवेशकों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्बाज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2019-20 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2020-21 और 2021-2022 के अंत में बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसा कि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया था।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों आदि स्थानीय निधियों की जमा राशियों और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2019-2020 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण, जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है, अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता/अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
क लोक ऋण	2054.33	5969968.10	6651365.15	7344902.16	8319740.37	10319213.88	1785340.53
1. आंतरिक ऋण	2022.30	5741709.39	6401274.97	7074941.31	8020490.14	9936384.65	17357415.30
(i) बाजार ऋण (विवरण 2 से 2 बी)	1444.95	4649486.99	5068407.97	5500141.10	5986127.21	7145123.34	8099331.11
(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 सी)	...	64817.95	56154.20	47687.95	35687.95	35687.95	35687.95
(iii) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ट)	80000.00	186000.00	251443.00	271443.00	291443.00
(iv) एग्जिम बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ड)	4500.00	5050.00	5050.00	5050.00
(v) आईडीबीआई बैंक लि. को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ढ)	4557.00	4557.00	4557.00	4557.00
(vi) आईआईएफसीएल को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2 ण)	5297.60	5297.60	5297.60
(vii) क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड	6.73	25108.06	51209.00	57058.65	67284.85	106259.08	131595.46
(viii) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	156569.67	151038.42	122335.52	154910.84	154910.84	154910.84
(ix) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	358.02	106840.05	138725.92	92183.45	82583.38	85148.08	112714.39
(x) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	85436.30	86871.86	119802.81	158156.60	142467.85	227152.98
(xi) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	142525.75	159685.00	208896.00	217670.00	455794.04	393542.60
(xii) अर्थोपाय अग्रिम
(xiii) नकद प्रबंधन हुंडियां	80000.00	80000.00	80000.00
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	108739.65	104369.68	106522.96	101908.83	98259.04	91818.58
(xv) लघु बचतों के लिए प्रतिभूतियां	...	381291.29	483919.24	608919.19	848919.20	1329493.09	1721420.10
(xvi) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के लिए निर्गमित विशेष	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	16893.68	9893.68
2. विदेशी ऋण*	32.03	228258.71	250090.18	269960.85	299250.24	382829.24	427925.24
ख. अन्य देनदारियां	811.07	1466093.21	1583812.04	1738612.87	1927211.90	1803253.36	1798142.99
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	751198.99	805684.91	892688.74	932963.66	762911.10	711288.91
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	184938.01	200736.68	216794.84	228430.17	246430.17	266430.17
3 अन्य खाते	16.10	321856.76	324632.47	326619.35	433789.52	436283.12	428875.68
(i) सख्खिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई)	...	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	152827.90
(ii) अन्य मदें	16.10	159028.86	161804.57	163791.45	270961.62	273455.22	276047.78
4 आरक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	208099.45	252757.98	302509.94	332028.55	357628.97	391548.23
(i) सब्याज	260.85	128981.16	143908.34	211436.27	188446.85	234497.26	253109.10
(ii) निर्व्याज	102.20	79118.29	108849.64	91073.67	143581.70	123131.71	138439.13
जोड़-देनदारियां	2865.40	7436061.31	8235177.19	9083515.03	10246952.27	12122259.24	13587275.52
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	7435761.31	8234877.19	9083215.03	10246652.27	12121959.24	13586975.52
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
जोड़ (निवल)	2565.40	7435761.31	8234877.19	9083215.03	10246652.27	12121959.24	13586975.52

* शेष राशि अंकित मूल्य के अनुसार है।

**1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	496.74	1017844.99	1124374.28	1237463.45	1360383.43	1504474.82	1655410.22
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	911467.90	1001913.13	1097143.73	1208236.16	1342746.16	1477806.88
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	106377.09	122461.15	140319.72	152147.27	161728.66	177603.34
2. सामाजिक सेवाएं	26.25	48321.73	53618.59	73044.21	82931.73	90729.60	98840.49
3. आर्थिक सेवाएं	965.02	1114455.31	1321699.44	1596007.64	1844559.53	2015085.52	2210120.82
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	16332.96	20345.24	23127.39	26480.25	28807.08	34690.38
(ii) ग्रामीण विकास	...	84.25	88.60	92.25	95.77	95.77	95.77
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	5265.96	5468.32	5559.83	6139.43	15621.52	27702.25
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	66852.32	68531.11	70095.89	67254.77	70771.61	72231.83
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	795.53	1084.06	1395.18	1661.08	1776.83	2066.15
(ख) ऊर्जा	0.00	66056.79	67447.05	68700.71	65593.69	68994.78	70165.68
(v) उद्योग और खनिज	34.34	70260.06	74273.26	82561.11	94404.67	99249.63	106690.63
(vi) परिवहन	830.40	539234.06	639111.37	767051.50	906119.54	1022223.73	1230463.40
(क) रेलवे	817.93	312091.06	355503.68	408910.45	429780.79	458771.16	565678.30
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	227143.00	283607.69	358141.05	476338.75	563452.57	664785.10
(vii) संचार	49.98	23238.60	27745.87	30316.36	35536.41	39968.19	65941.33
(क) डाक सेवाएं	49.98	3877.16	4515.41	5026.68	5422.24	5999.10	6638.68
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4719.38	4719.39	4719.38	4719.38	4719.38	4719.38
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	14642.06	18511.07	20570.30	25394.79	29249.71	54583.27
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	36631.55	42005.69	49301.91	58527.83	64462.15	74967.29
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	356555.55	444129.98	567901.40	650000.86	673885.84	597337.94
संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण	4953.82	10734.33
कुल जोड़	1488.01	2180622.03	2499692.31	2906515.40	3287874.69	3615243.76	3975105.86
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण							
राज्य सरकारें	195.58	153463.12	157922.00	167383.98	176514.13	321892.65	369756.17
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	...	4084.24	4089.43	4147.04	4300.04	4200.26	4104.43
विदेशी सरकारें	0.01	12920.15	13433.02	13557.87	14227.78	14554.98	15011.53
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	538651.47	507245.25	471206.21	440437.97	415587.97	393323.94
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	70000.00	162000.00	271636.00	366546.00	244348.00	229348.00
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को हानियां	...	100993.92	107637.84	113651.82	109461.53	102975.13	88616.97
डाकघर बीमा कोष, फण्ड मैनेजर और हाथ-नकद	83146.35	73007.32	61854.38
रेलवे	79398.00	79398.00
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	104630.23	111249.33	125546.31	143246.57	149826.66	172582.85
राज्यों तथा संघ राज्यों को जीएसटी के लिए बैंक टू बैंक लोन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110208.00	110208.00
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	194.25	95.23	159.12	182.83	157.83	132.83
जोड़	220.68	984937.38	1063672.10	1167288.35	1338063.20	1515948.80	1524129.10
जोड़ पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण	1708.69	3165559.41	3563364.41	4073803.65	4625937.89	5131192.56	5499234.96
कुल जोड़	1708.69	3165559.41	3563364.41	4073803.65	4625937.89	5131192.56	5499234.96
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए अग्रिम ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	4270201.90	4671512.78	5009411.38	5620714.38	6990766.68	8087740.56
जोड़	2565.40	7435761.31	8234877.19	9083215.03	10246652.27	12121959.24	13586975.52

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2019-20 के अंत की स्थिति के अनुसार)
(₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	40512.83 (6)	39011.76 (5)	1501.07 (1)	40512.83 (6)
	वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग	23865.26 (41)	16518.76 (15)	7346.50 (26)	385.26	23480.00 (41)	104.93	104.93	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	0.01 (1)	0.01 (1)	0.01 (1)
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	9495.00 (1)	9495.00 (1)	9495.00 (1)
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	60.87 (1)	...	60.87 (1)	60.87 (1)	88.22	7.89	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग	1148.67 (9)	1132.95 (9)	15.72	1148.67 (9)	88.51
	जोड़ TOTAL		75082.64 (59)	66158.48 (31)	8924.16 (28)	385.26	74697.38 (59)	281.66	112.82
2. शेयर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	29000.00 (4)	21000.00 (3)	8000.00 (1)	29000.00 (4)
	रेलवे मंत्रालय	4155.67	2308.84	1846.83	4155.67	28.58	28.58	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग	(3) 7513.97 (7)	(3) 7513.97 (7)	(3) 7513.97 (7)	29.80	59.60	...	
	जोड़	47669.64 (16)	37822.81 (15)	9846.83 (1)				47669.64 (16)	128.38	158.18	...	
3.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय कोयला मंत्रालय विद्युत मंत्रालय वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस्पात मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग आवासन और शहरी विकास मंत्रालय विदेश मंत्रालय	51048.71 (44) 692.35 (3) 44150.66 (44) 15952.23 (30) 196024.73 (200) 56.53 (3) 622.82 (1) 8434.00 (13) 359.59 (2) 1054.00 (1) 1376.82 (4) 67954.64 (8)	48848.71 (40) 631.04 (3) 38738.71 (44) 13216.91 (30) 168383.88 (173) 52.68 (3) 570.96 (1) 8130.68 (13) 359.59 (2) 1054.00 (1) 1305.20 (4) 64300.08 (7)	2200.00 (4) 61.31 (4) 5411.95 (1) 2735.32 (4) 27640.85 (27) 3.85 (3) 51.86 (1) 303.32 (13) ...	8232.60 (4) 56.39 (1) 2993.90 (1) 2557.37 (4) 28728.87 (11) 3.11 (3) 72.13 (1) 423.03 (13) 2.70 (2)	42816.11 (44) 635.96 (3) 41156.76 (43) 13394.86 (26) 167295.86 (189) 53.42 (3) 550.69 (1) 8010.97 (13) 356.89 (2) 1054.00 (1) 1234.22 (4) 67954.64 (8)	1912.76 (44) 5.55 (3) 454.05 (43) 134.44 (26) 34.03 (189) 0.22 (3) 1.43 (1) 96.23 (13) 0.96 (2) 10.54 (1) 14.38 (4) ...	54.92 (44) 5.55 (3) 454.05 (43) 135.50 (26) 34.03 (189) 0.22 (3) 1.43 (1) 96.23 (13) 0.96 (2) 2.34 (1) 14.38 (4)
	जोड़	387727.08 (353)	345592.44 (321)	42134.64 (32)	43212.70 (16)	344514.38 (337)	2664.59	799.61	...	
4.	विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे को प्रदान की गई गारंटियां।	
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां	
कुल जोड़		510479.36 (428)	449573.73 (367)	60905.63 (61)	43597.96 (16)	466881.40 (412)	3074.63	1070.61	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

- * डीईए से डीएफएस के आईएफसीआई और एक्सिम बैंक से संबंधित गारंटी की अंतरण के कारण आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवा विभाग के इतिशेष और अथ शेष में अंतर हुआ है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एमएमआरडीए (1947.37 करोड़) के संबंध में गारंटी को दर्शाया नहीं गया था और इसे इस वर्ष शामिल किया गया है।
- 1. उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं।
- 2. वर्ष 2019-20 के लिए निवल गारंटी संवय ₹ 17,307.67 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6) है। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹60,905.63 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2019-2020 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.30 प्रतिशत है।
- 3. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए (22 जनवरी, 2021 तक) ₹ 83,510.28 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2020-21 में अनुमानित स.घ.उ. का 0.37% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
- 4. गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यक्षीन निकाय द्वारा ऋण की पुनः अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाएगी।

1 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2019-20, के अंत की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़)

	2019-20 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2019-20 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2019-20 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
वास्तविक परिसम्पत्तियां:			
भूमि	357033.06	17545.35	374578.41
भवन			
कार्यालय	36447.09	1440.30	37887.39
रिहायशी	18243.19	239.18	18482.37
सड़कें	11977.89	70.81	12048.70
पुल	12055.08	33.24	12088.32
सिंचाई परियोजनाएं	1342.43	9.50	1351.93
विद्युत परियोजनाएं	759.69	38.87	798.56
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	5007.71	507.68	5515.39
मशीनरी और उपस्कर	32252.96	508.49	32761.45
कार्यालय उपस्कर	3515.79	263.39	3779.18
वाहन	2154.85	155.71	2310.56
जोड़	480789.74	20812.52	501602.26
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	453510.35	84430.74	537941.09
बोनस शेयर	1418.63	0.00	1418.63
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण	3549.58	-2.39	3547.19
विदेशी सरकारों को ऋण	14093.67	657.46	14751.13
कम्पनियों को ऋण	69203.44	1177.83	70381.27
अन्य को ऋण	73624.09	14438.41	88062.50
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	408483.19	77841.79	486324.98
अन्य	186272.39	81.11	186353.50
जोड़	1210155.34	178624.95	1388780.29
कुल जोड़	1690945.08	199437.47	1890382.55

टिप्पणियां:

- ₹ 2 लाख की न्यूनतम मूल्य से ऊपर की आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संगृहीत करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू मिलान/परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतया असम गैस क्रैकर परियोजना को पैट्रिलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास हस्तांतरित करने, डीपीआईआईटी द्वारा की गई प्रविष्टियों में त्रुटि-शोधन, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त मिशनों द्वारा आस्तियों को सूचित करने, युवा मामले और खेल कूद मंत्रालय द्वारा आस्तियों का संशोधन करने के कारण आया है।

2 - केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020		
3.00% ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73	
3.00% ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60	
2.25% ऋण, 1954	15.11.1954	35.06	
3.50% ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87	
4.50% ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06	
2.50% ऋण, 1955	01.10.1955	60.45	
3.00% विजय ऋण, 1957	01.09.1957	114.07	
4.50% ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85	
3.00% द्वितीय विजय ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66	
2.75% ऋण, 1960	15.07.1960	45.63	
4.00% ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30	
2.50% ऋण, 1961	01.08.1961	57.01	
2.75% ऋण, 1962	15.11.1962	75.87	
3.00% ऋण, 1963-65	01.06.1963	116.17	
3.00% ऋण, 1964	15.06.1964	30.33	
3.00% निधियन ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12	
3.00% प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06	
2.75% ऋण, 1976	16.09.1976	14.77	
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	31767.33	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2017	02.07.2017	...	3000.00	
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	03.07.2017	...	27240.44	
7.99% सरकारी स्टॉक, 2017	09.07.2017	...	35384.64	
7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	28.08.2017	...	37327.07	
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	10886.80	
7.83% सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	...	73000.00	40518.39	
8.24% सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	...	75000.00	27203.80	
10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	...	3716.00	3716.00	
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	10000.00	10000.00	
12.60% सरकारी स्टॉक, 2018	23.11.2018	...	12631.88	12631.88	
5.64% सरकारी स्टॉक, 2019	02.01.2019	...	10000.00	10000.00	
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	02.02.2019	...	53000.00	53000.00	
7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	...	53000.00	53000.00	42038.00	
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	4000.00	4000.00	4000.00	
6.90% सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	...	45000.00	45000.00	42840.00	
10.03% सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	...	6000.00	6000.00	6000.00	
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	56000.00	56000.00	56000.00	
8.19% सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	...	74000.00	74000.00	74000.00	
6.65% सरकारी स्टॉक, 2020	09.04.2020	43545.96	29608.43	...	
10.70% सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...	
7.80% सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	...	75000.00	75000.00	75000.00	49962.43	...	
8.27% सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	...	73000.00	73000.00	73000.00	52867.57	...	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020	21.12.2020	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	...	
8.12% सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	...	76000.00	76000.00	76000.00	49493.16	...	
11.60% सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...	
7.00% सरकारी स्टॉक, 2021	21.01.2021	12000.00	29145.06	...	
7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	66000.00	66000.00	67492.66	67047.66	55272.44	
7.94% सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	49425.00	49425.00	49425.00	48555.00	40700.55	
10.25% सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	13213.32	
6.17% सरकारी स्टॉक, 2021	15.07.2021	41206.57	34069.94	
8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	83000.00	83000.00	83000.00	82330.46	75300.45	
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	56000.00	56000.00	51984.54	48089.54	
5.09% सरकारी स्टॉक, 2022	13.04.2022	59054.88	
8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	51095.00	
8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	83000.00	83000.00	83000.00	79000.00	73786.12	
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	61019.71	

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022	
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020			
8.13%	सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	61311.49	61311.49
3.96%	सरकारी स्टॉक, 2022	09.11.2022	12400.00	12400.00
6.84%	सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	...	26000	87000.00	99000.00	99000.00	88347.51	88347.51
6.30%	सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	12710.00	12710.00
7.37%	सरकारी स्टॉक, 2023	16.04.2023	39987.81	39987.81	35782.81	35782.81
7.68%	सरकारी स्टॉक, 2023	27.04.2023	...	88132.01	88132.01	88132.01	88132.01	88132.01	88132.01
7.16%	सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00
6.17%	सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	4000.00	4000.00
4.48%	सरकारी स्टॉक, 2023	02.11.2023	36000.00	36000.00
8.83%	सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	68642.22	68642.22
7.32%	सरकारी स्टॉक, 2024	28.01.2024	18000.00	87000.00	72710.00	72710.00
7.35%	सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	90168.02	90168.02	90168.02	52448.33	52448.33	52448.33
8.40%	सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	90000.00	90000.00	90000.00	79533.53	79533.53	79533.53
6.18%	सरकारी स्टॉक, 2024	04.11.2024	48552.51	102090.28	102090.28
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024		07.11.2024	...	43730.00	110965.03	116965.03	116965.03	116965.03	116965.03
9.15%	सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	92000.00	92000.00	92000.00	84062.54	84062.54	84062.54
7.72%	सरकारी स्टॉक, 2025	25.05.2025	...	86000.00	86000.00	90031.81	90031.81	90031.81	90031.81
5.22%	सरकारी स्टॉक, 2025	15.06.2025	118000.00	118000.00
8.20%	सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
5.15%	सरकारी स्टॉक, 2025	09.11.2025	67465.24	67465.24
7.59%	सरकारी स्टॉक, 2026	11.01.2026	...	87000.00	87000.00	119000.00	119000.00	119000.00	119000.00
7.27%	सरकारी स्टॉक, 2026	08.04.2026	55000.00	60248.95	60248.95
8.33%	सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	90000.00	90000.00	90000.00	87000.00	87000.00	87000.00
6.97%	सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	...	76000.00	91000.00	91578.39	89743.39	89743.39	89743.39
10.18%	सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.15%	सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	86489.21	86489.21	86489.21	82963.85	82963.85	82963.85
8.24%	सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	89000.00	89000.00	107000.00	107000.00	107000.00	107000.00
6.79%	सरकारी स्टॉक, 2027	15.05.2027	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00	121000.00
8.26%	सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72000.00	72000.00	72300.68	96299.29	96299.29	96299.29
8.28%	सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	88000.00	88000.00	88748.48	88748.48	88748.28	88748.28
7.17%	सरकारी स्टॉक, 2028	08.01.2028	33000.00	113148.45	113148.45	113148.45	113148.45
6.01%	सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60%	सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
6.13%	सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
7.26%	सरकारी स्टॉक, 2029	14.01.2029	28000.00	118830.80	118830.80	118830.80
7.59%	सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	88000.00	96236.79	96236.79	96236.79	96236.79	96236.79
6.45%	सरकारी स्टॉक, 2029	07.10.2029	95840.16	114840.16	114840.16
6.79%	सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	...	36895.11	118801.13	118801.13	118801.13	118801.13	118801.13
7.88 %	सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2030	...	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00
7.61%	सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	...	85000.00	85000.00	85000.00	100989.44	100989.44	100989.44
5.79%	सरकारी स्टॉक, 2030	11.05.2030	111618.58	111618.58
5.77%	सरकारी स्टॉक, 2030	03.08.2030	123000.00	123000.00
9.20%	सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55
5.85%	सरकारी स्टॉक, 2030	01.12.2030	25405.32	25405.32
8.97%	सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.68%	सरकारी स्टॉक, 2031	17.09.2031	85251.70	93251.70	93251.70	105397.51	105397.51
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2031		07.12.2031	46000.00	106000.00	120000.00	120000.00
8.28%	सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
8.32%	सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.95%	सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	89000.00	89000.00	115000.00	121000.00	121000.00	121000.00
7.57%	सरकारी स्टॉक, 2033	17.06.2033	94790.60	120790.58	120790.58
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2033		22.09.2033	65323.21	65323.21
8.24%	सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	87275.00	87275.00	99275.00	99275.00	99275.00	99275.00
6.57%	सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	...	10000.00	47000.00	66655.89	66655.89	95960.48	95960.48
7.50%	सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	90000.00	90000.00	99101.13	99101.13	99101.13	99101.13
6.19%	सरकारी स्टॉक, 2034	16.09.2034	127000.00	127000.00
7.73%	सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	62000.00	98000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035		25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
6.22%	सरकारी स्टॉक, 2035	16.03.2035	69516.37	69516.37

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020		
7.40% सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	52245.00	53245.00	97245.00	99245.00	99245.00	99245.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.62% सरकारी स्टॉक, 2039	15.09.2039	38150.91	38150.91	38150.91
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	90000.00	104529.44	104529.44	104529.44	104529.44	104529.44
7.69% सरकारी स्टॉक, 2043	17.06.2043	37000.00	37000.00	37000.00
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	86000.00	86000.00	97000.00	97000.00	97000.00	97000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	73000.00	73000.00	98000.00	98000.00	98000.00	98000.00
7.06% सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	...	22000.00	55000.00	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2049	15.06.2049	84000.00	84000.00	84000.00
7.16 % सरकारी स्टॉक, 2050	20.09.2050	99798.36	99798.36
6.67 % सरकारी स्टॉक, 2050	17.12.2050	30454.93	30454.93
6.62 % सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	...	10000.00	46000.00	55000.00	55000.00	55000.00	55000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	29000.00	46000.00	92000.00	100000.00	100000.00	100000.00
7.63% सरकारी स्टॉक, 2059	17.06.2059	83461.95	83461.95	83461.95
7.19% सरकारी स्टॉक, 2060	15.09.2060	98381.04	98381.04
6.80% सरकारी स्टॉक, 2060	15.12.2060	94176.43	94176.43
3.00% ऋण, 1896-97		8.93
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92
ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	28.84	20.58	20.19	18.98
जांच/मिलान के तहत अंतर			1.17	0.09	0.43	-0.07
हस्तक्षेप अवधि और समायोजनों (शेष आंकड़े) को ध्यान में रखते हुए 2020-21 में अनुमानित उधार		236619.23	222537.45
अंतरण के जरिए निर्गम						180000.00
अंतरण के जरिए चुकौतियां						-180000.00
स्टॉक से वापसी खरीद		
वि.व. 2021-22 में बाजार उधार			1235000.00
जोड़-चालू ऋण		1444.95	4627363.67	5048629.22	5478028.36	5964016.91	7123097.58	8077369.56

2क - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
जोड़		...	20808.78	20808.78	20808.78	20808.78	20808.78	20808.78

2ख - मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14	1152.55	1152.55
आईआईएनएसएससी	05.06.2023	...	79.40	71.08	68.82	66.38	64.48	0.22
जोड़		...	1320.38	1314.54	1306.22	1301.52	1217.03	1152.77
कुल जोड़		1444.95	4649486.99	5070744.22	5500141.10	5986127.21	7145123.39	8099331.11

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020		

2ग - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियाँ

7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
जोड़		...	64817.95	53817.95	47687.95	35687.95	35687.95	35687.95

2घ - डाक विभाग को जारी भारत सरकार के विशेष बांड (लोक लेखा से बाजार ऋणों में पोलिफ का प्रतिभूतिकरण)

8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
पीएलआई भारत सरकार के विशेष अस्थायी दर वाले बांड 2022	30.03.2022	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	...
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68
8.08% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
जोड़		...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	16893.68	9893.68

2ङ - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़		...	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	120923.17

2च - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़		...	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़		...	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00

2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़		...	100.00	100.00	100.00	100.00

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					(₹ करोड़)	
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022

2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	...
जोड़		...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	...

2अ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई अधिकार निर्गम, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़		...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	3876.00	3876.00
जोड़		...	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	3876.00	3876.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00	509.00	509.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	31.12.2028	4789.00	4789.00	4789.00	4789.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	31.01.2029	201.00	201.00	201.00	201.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	28.03.2029	8059.00	8059.00	8059.00	8059.00
7.42 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.03.2029	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.07.2029	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	19.09.2029	392.00	392.00	392.00	392.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	27.09.2029	905.00	905.00	905.00	905.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	27.09.2029	5501.00	5501.00	5501.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	30.09.2029	3816.00	3816.00	3816.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.10.2029	121.00	121.00	121.00	121.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	12.11.2029	509.00	509.00	509.00	509.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	31.12.2029	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	03.01.2031	1480.00	1480.00	1480.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	31.01.2030	197.00	197.00	197.00	197.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	21.02.2030	842.00	842.00	842.00	842.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	21.02.2030	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.13 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	20.03.2030	141.00	141.00	141.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	28.03.2030	840.00	840.00	840.00	840.00
7.48 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.03.2030	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.07.2030	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	19.09.2030	392.00	392.00	392.00	392.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	905.00	905.00	905.00	905.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	5481.00	5481.00	5481.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	3807.00	3807.00	3807.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.10.2030	121.00	121.00	121.00	121.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	12.11.2030	509.00	509.00	509.00	509.00
गैर ब्याज वाले (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	14.12.2030	920.00	920.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	31.12.2030	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	03.01.2031	1475.00	1475.00	1475.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	31.01.2031	197.00	197.00	197.00	197.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	21.02.2031	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.18 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	20.03.2031	138.00	138.00	138.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	28.03.2031	840.00	840.00	840.00	840.00
7.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.03.2031	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020		
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.07.2031	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	19.09.2031	392.00	392.00	392.00	392.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	905.00	905.00	905.00	905.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	5481.00	5481.00	5481.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	3807.00	3807.00	3807.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	22.10.2031	121.00	121.00	121.00	121.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	12.11.2031	509.00	509.00	509.00	509.00
गैर ब्याज वाले (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	14.12.2031	916.00	916.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	31.12.2031	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	03.01.2032	1475.00	1475.00	1475.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.01.2032	197.00	197.00	197.00	197.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	21.02.2032	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.18 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	20.03.2032	138.00	138.00	138.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	28.03.2032	840.00	840.00	840.00	840.00
7.61 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.03.2032	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.07.2032	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	19.09.2032	392.00	392.00	392.00	392.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	905.00	905.00	905.00	905.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	5481.00	5481.00	5481.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	3807.00	3807.00	3807.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	22.10.2032	121.00	121.00	121.00	121.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	12.11.2032	509.00	509.00	509.00	509.00
गैर ब्याज वाले (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	14.12.2032	916.00	916.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.12.2032	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	03.01.2033	1475.00	1475.00	1475.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.01.2033	197.00	197.00	197.00	197.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	21.02.2033	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.23 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	20.03.2033	138.00	138.00	138.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	28.03.2033	840.00	840.00	840.00	840.00
7.68 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.03.2033	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00	13325.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.07.2033	1887.00	1887.00	1887.00	1887.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	19.09.2033	392.00	392.00	392.00	392.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	905.00	905.00	905.00	905.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	5481.00	5481.00	5481.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	3807.00	3807.00	3807.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	22.10.2033	121.00	121.00	121.00	121.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	12.11.2033	509.00	509.00	509.00	509.00
गैर ब्याज वाले (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	14.12.2033	916.00	916.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.12.2033	4768.00	4768.00	4768.00	4768.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	03.01.2034	1475.00	1475.00	1475.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	31.01.2034	197.00	197.00	197.00	197.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	21.02.2034	8036.00	8036.00	8036.00	8036.00
6.23 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	20.03.2034	138.00	138.00	138.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	28.03.2034	840.00	840.00	840.00	840.00
6.70 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	5481.00	5481.00	5481.00
6.70 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	27.09.2034	3807.00	3807.00	3807.00
गैर ब्याज वाले (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	14.12.2034	916.00	916.00
6.65 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	03.01.2035	1475.00	1475.00	1475.00
6.28 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	20.03.2035	138.00	138.00	138.00
गैर ब्याज वाले (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	14.12.2035	916.00	916.00
2020-21 में प्रतिभूति जारी होने की संभावना		14500.00	14500.00
2021-22 में प्रतिभूति जारी होने की संभावना		20000.00
जोड़		80000.00	186000.00	251443.00	271443.00	291443.00

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					(₹ करोड़)	
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	संशोधित 2020-2021	बजट 2021-2022

2ड -एक्सिम बैंक को पुनःपूँजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.03.2029	750.00	750.00	750.00	750.00
6.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	15.11.2029	95.00	95.00	95.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.03.2030	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	15.11.2030	91.00	91.00	91.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2031	750.00	750.00	750.00	750.00
6.50 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	15.11.2031	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2032	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	15.11.2032	91.00	91.00	91.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2033	750.00	750.00	750.00	750.00
6.55 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	15.11.2033	91.00	91.00	91.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.03.2034	750.00	750.00	750.00	750.00
6.60 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	15.11.2034	91.00	91.00	91.00
जोड़		4500.00	5050.00	5050.00	5050.00

2ढ -आईडीबीआई बैंक लि. को पुनःपूँजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

6.64 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.09.2029	762.00	762.00	762.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.09.2030	759.00	759.00	759.00
6.69 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.09.2031	759.00	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.09.2032	759.00	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.09.2033	759.00	759.00	759.00
6.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	23.09.2034	759.00	759.00	759.00
जोड़		4557.00	4557.00	4557.00

2-ण आईआईएफसीएल को पुनःपूँजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

6.29 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	30.03.2030	887.60	887.60	887.60
6.34 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	30.03.2031	882.00	882.00	882.00
6.34 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	30.03.2032	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	30.03.2033	882.00	882.00	882.00
6.39 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2034	30.03.2034	882.00	882.00	882.00
6.44 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2035	30.03.2035	882.00	882.00	882.00
जोड़		5297.60	5297.60	5297.60

2 -त - जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार

5.22% सरकारी स्टॉक, 2025	15-Jun-2025	6000.00	...
4.48% सरकारी स्टॉक, 2023	2-Nov-2023	55104.00	...
5.22% सरकारी स्टॉक, 2025	9-Nov-2025	49104.00	...
जोड़		110208.00	...

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षों के अंत में यथा-विद्यमान स्थिति					संशोधित	बजट
		1950-1951	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020		

2 - थ - जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकरण की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को बैंक-टू-बैंक ऋण प्रदान करने के लिए उधार

राज्य का नाम	कुल जीएसटी क्षतिपूर्ति	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटन का %	3 वर्ष का ऋण	5 वर्ष का ऋण
आन्ध्र प्रदेश	2311.00	2.10%	1155.50	1155.50
असम	994.00	0.90%	497.00	497.00
बिहार	3905.00	3.54%	1952.50	1952.50
छत्तीसगढ़	3109.00	2.82%	1554.50	1554.50
दिल्ली	5865.00	5.32%	2932.50	2932.50
गोवा	840.00	0.76%	420.00	420.00
गुजरात	9222.00	8.37%	4611.00	4611.00
हरियाणा	4352.00	3.95%	2176.00	2176.00
हिमाचल प्रदेश	1717.00	1.56%	858.50	858.50
जेएण्डके	2272.00	2.06%	1136.00	1136.00
झारखंड	1689.00	1.53%	844.50	844.50
कर्नाटक	12407.00	11.26%	6203.50	6203.50
केरल	5766.00	5.23%	2883.00	2883.00
मध्य प्रदेश	4542.00	4.12%	2271.00	2271.00
महाराष्ट्र	11977.00	10.87%	5988.50	5988.50
मेघालय	112.00	0.10%	56.00	56.00
ओडिशा	3822.00	3.47%	1911.00	1911.00
पंजाब	8359.00	7.58%	4179.50	4179.50
पुद्दुचेरी	742.00	0.67%	371.00	371.00
राजस्थान	4604.00	4.18%	2302.00	2302.00
तमिलनाडु	6241.00	5.66%	3120.50	3120.50
तेलंगाना	2380.00	2.16%	1190.00	1190.00
त्रिपुरा	226.00	0.21%	113.00	113.00
उत्तर प्रदेश	6007.00	5.45%	3003.50	3003.50
उत्तराखण्ड	2316.00	2.10%	1158.00	1158.00
पश्चिम बंगाल	4431.00	4.02%	2215.50	2215.50
जोड़	110208.00	100.00%	55104.00	55104.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक (अन.) 2019-2020		बजट अनुमान 2020-2021		संशोधित अनुमान 2020-2021		बजट अनुमान 2021-2022	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
राशियों से विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	31202.64	...	35755.71	...	36928.37	...	46072.52	...
(v) सरकारी एजेंसियों में निवेश	21904.41	...	30351.35	...	31183.20	...	31767.21	...
(क) भारतीय खाद्य निगम में निवेश	14879.15	...	21160.33	...	21835.33	...	20956.54	...
(ख) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	1311.10	...	1947.00	...	2132.00	...	2687.00	...
(ग) आरसीएफ लि. में निवेश	153.42
(घ) एमएमटीसी में निवेश	111.35	...	19.47
(ङ) अन्य	5714.16	...	6979.25	...	7196.40	...	8123.67	...
उप-जोड़ [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)] (II)	126785.79	...	146048.14	...	153453.76	...	184423.29	...
3.1 एनएसएसएफ की अन्य आय (ओआई)								
अन्य प्राप्तियां	718.1	...	1210.00	...	406.00	...	754.00	...
जोड़ (3)= (II)+(ओआई)	127503.89	...	147258.14	...	153859.76	...	185177.29	...
4 व्याज भुगतान (आईपी):								
बचत जमा राशियां	...	42224.14	...	62473.68	...	58049.28	...	68959.45
बचत प्रमाण पत्र	...	24059.87	...	34425.97	...	29588.34	...	34329.94
लोक भविष्य निधि	...	45097.65	...	46631.91	...	48170.16	...	54314.09
जोड़ (4)	...	111381.66	...	143531.56	...	135807.78	...	157603.48
5 प्रबंधन लागत:								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	8660.77	...	9830.05	...	8330.05	...	9830.35
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	...	172.95	...	275.63	...	188.66	...	198.09
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	...	3095.51	...	2960.15	...	3006.87	...	3157.21
मुद्रण की लागत	...	2.71	...	20.00	...	40.00	...	30.00
जोड़ (5)	...	11931.94	...	13085.83	...	11565.58	...	13215.65
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि(एनएसएसएफ) की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	127503.89	123313.60	147258.14	156617.39	153859.76	147373.36	185177.29	170819.13
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)	...	-4190.29	...	9359.25	...	-6486.40	...	-14358.16

4. वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय*								
1.	आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवनाहल्ली (केएनटी-1)	402.34	1185.84	20-04-2009	25-03-2027	18	65.88	461.16
2.	मोकामा-मुंगेर	351.54	998.50	19-07-2013	14-05-2026	12.5	79.88	439.34
3.	बिहार राज्य में एनएच-31 के 270 कि.मी. से 410 कि.मी. तक के पुर्निया-खगरई खंड के पेव्ड शोल्डर के साथ इसे दो लेन का करना	664.00	1624.00	02-04-2014	02-10-2028	14.5	112.00	952.00
4.	तंबारम-टिडीवानम	564.30	1255.68	03-05-2005	09-11-2019	15	83.72	...
5.	बिहार राज्य में 0.000 कि.मी. से 46.300 कि.मी. तक के एनएच 77 पर हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड को 4 लेन का बनाना और 16.870 कि.मी. के नए बाईपास का निर्माण जो 46.300 कि.मी. पर शुरू होकर एनएच 28 पूर्व पश्चिम गलियारे को 515.045 कि.मी. पर जोड़ेगा	671.70	2365.00	01-03-2017	01-09-2029	12.5	189.20	1702.80
6.	एनएच-57 पर कोसी रिवर	418.04	1084.60	04-04-2010	04-04-2027	17	63.80	446.60
7.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगम	542.80	1515.30	20-06-2005	20-12-2019	15	101.02	...
8.	पानागढ़-पालसित	350.00	1665.00	21-06-2005	21-12-2019	15	111.00	...
9.	पालसित-दानकुनी	432.40	1199.94	27-08-2005	27-02-2020	15	80.00	...
10.	गोरखपुर बाईपास	600.24	1701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20	729.00
11.	एनएच-3 के 42.033 कि.मी. से 103.000 कि.मी. तक ग्वालियर बाईपास	300.93	928.55	06-10-2009	06-04-2027	17.5	53.06	371.42
12.	कोटकाटा-कुर्नूल (हैदराबाद बेंगलोर खंड) (एनएस-2/बीओटी/एपी-5) 135.740 कि.मी. से 211.000 कि.मी.	611.00	1978.20	15-03-2009	13-09-2026	17.5	113.04	734.76
13.	हजारीबांग रांची	625.07	1986.48	14-03-2013	25-09-2028	15.5	128.16	1025.28
14.	अमृतसर-वाघा सीमा	205.88	664.20	13-06-2010	30-06-2028	18	36.90	313.65
15.	जम्मू उद्यमपुर खंड (जम्मू बाईपास) (उद्यमपुर बाईपास) (एनएचडीपी/ फेज-II/बीओटी/VI/जेएंडके)	1500.00	6864.60	01-06-2014	01-06-2031	17	403.80	4643.70
16.	एनएच-1ए के चेन्नई से नाशरी खंड को चार लेन का बनाना, इसका पुनर्स्थापन और सुदृढीकरण इसमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में बीओटी वार्षिकी आधार पर समानांतर एस्केप सुरंग के साथ 9 कि.मी. लंबी सुरंग (2 लेन) शामिल है (एनएचडीपी/फेज-II/बीओटी/VI/जेएंडके)	2519.00	9525.60	07-09-2017	08-03-2032	15	635.04	7620.48
17.	झांसी से लिलतपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	355.06	1048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90	419.30
18.	झांसी से लिलतपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3)	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90	335.30
19.	ओरई-भोगनीपुर (220.00 कि.मी. से 255.00 कि.मी. तक) और भोगनीपुर-बराह (421.20 कि.मी. से 449.00 कि.मी. तक)	465.00	1344.60	24-10-2009	24-04-2024	15	89.64	403.38
20.	एनएच-210 में त्रिची कराईकुडी खंड को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाना और इसमें एनएच-677 पर त्रिची बाईपास शामिल है	374.00	554.97	16-08-2014	15-02-2027	13	42.69	298.83
21.	वार्षिकी आधार पर डीबीएफओटी पर एनएच-24बी के 12.700 कि.मी. से 82.700 कि.मी. तक के लखनऊ-रायबरेली खंड को 4 लेन का बनाना	635.90	1461.60	16-07-2015	15-07-2029	14.5	100.80	957.60

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि	
				से	तक	वर्ष की संख्या			
22.	मुजफ्फरपुर-सोनबर्ष तक 0.00 कि.मी. से 89.00 कि.मी. तक के खंड को दो लेन का बनाना	512.00	1834.00	25-11-2013	24-05-2031	17.5	104.80	1205.20	
23.	एनएच-69 के नागपुर-सावनेर-बेतुल खंड को चार लेन का बनाना	2498.76	9596.40	18-08-2015	18-08-2031	16.5	581.60	6688.40	
24.	लखनादोन-एमएच सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	263.17	673.05	26-09-2009	26-03-2027	17.5	38.46	269.22	
25.	एमपी एनएस-1/बीओटी/एमपी-3 में लखनादोन-एमपी/एमएच सीमा (एनएच-7 का 596.75 कि.मी. - 653.225 कि.मी. खंड)	407.60	762.65	22-05-2010	22-10-2027	17.5	43.58	326.85	
26.	नोल्लौर बाइपास	152.91	388.80	27-04-2005	27-10-2019	15	25.92	0.00	
27.	कादल से आर्मर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8)	271.73	856.80	29-04-2010	29-10-2027	18	47.60	380.80	
28.	इस्लाम नगर से कदताल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	518.46	1597.32	03-08-2010	29-02-2028	18	88.74	709.92	
29.	एमएच/एपी सीमा से इस्लाम नगर तक (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	360.42	1133.28	02-05-2010	02-11-2027	18	62.96	503.68	
30.	आर्मर-कलकल्लू गांव (एनएस-2/एपी-2)	546.15	1896.30	26-03-2009	25-09-2026	18	108.36	704.34	
31.	पालनपुर से स्वरुपगंज	498.00	1296.30	24-03-2009	24-03-2024	15	86.42	345.68	
32.	टूनी-थर्मावरम (एपी-16)	212.00	837.36	30-11-2004	29-11-2019	15	55.82	...	
33.	धर्मावरम-राजमुंदरी (एपी-15)	219.00	888.57	30-11-2004	29-11-2019	15	59.24	...	
34.	एसएआरडीपी-एनई के तहत बीओटी (वार्षिकी) आधार पर मेघालय और असम राज्य में एनएच-40 के 0.000 कि.मी. से 61.800 कि.मी. तक के जोरबाट-शिलांग (बारापानी) खंड को चार लेन का बनाना	536.00	2465.34	28-07-2016	28-01-2031	17	145.02	1885.26	
35.	शिलांग बाइपास	226.00	596.88	25-09-2013	25-03-2025	12	49.74	248.70	
36.	रीगस से सीकर 298.075 कि.मी. से 341.962 कि.मी. तक का खंड	333.51	544.39	01-09-2014	01-09-2028	14.5	37.54	319.09	
37.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एनएच-1ए पर श्रीनगर से बनीहाल 187.000 कि.मी. से 189.350 कि.मी. तक का खंड (बनीहाल बाईपास) और 220.700 कि.मी. से 286.110 कि.मी. तक के खंड की पुनर्स्थापना, सुदृढीकरण और इसे चार लेन का बनाना (पैकेज सं. एनएचडीपी-फेज-II/बीओटी/1/जेएंडके)	1600.00	4583.88	27-03-2018	27-03-2035	17	269.64	4044.60	
38.	डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (वार्षिकी) पर एनएचडीपी चरण iv-ए के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-231 के रायबरेली से जौनपुर खंड (0.000 कि.मी. से 166.400 कि.मी.) को पेड शोल्डर के साथ चार लेन का बनाना	569.36	1929.00	02-12-2016	02-06-2031	15	128.60	1478.90	
39.	अंकापल्ली-तूनी	295.00	884.43	09-11-2004	08-11-2019	15	58.96	...	
40.	डीबीएफओटी (वार्षिकी) आधार पर एनएचडीपी-III के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में एनएच-34 के कृष्णानगर-बहरामपुर के 115 कि.मी. से 193 कि.मी. तक के खंड को चार लेन का बनाना [जारी पैकेज एनएचडीपी-III/बीओटी/डब्ल्यूपी/02]	702.16	1530.00	04-01-2015	04-01-2027	12.5	122.40	856.80	
कुल- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		23,587.52	76,084.91				4,810.03	41,822.04	
गृह मंत्रालय									
(i) दिल्ली पुलिस	धीरपुर, नई दिल्ली के आवासीय परिसर का विकास	790.58	1822.12	परियोजना को अभी शुरू किया जाना है			देखे नोट 1	125.50	...
(ii) दिल्ली पुलिस	जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	202.00	1178.80	2020-21	2033-34	13	78.00	...	
कुल जोड़ - गृह मंत्रालय		992.58	3,000.92				203.50	...	

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	अवधि वर्षों में (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
जल शक्ति मंत्रालय								
(i)	हरिद्वार, उत्तराखंड में 82 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना का विकास	279.65	219.05	01-10-2020	30-09-2035	15	14.60	...
(ii)	वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 50 एमएलडी सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विकास	247.36	201.07	01.03.2021	28.02.2036	15	13.40	...
(iii)	मथुरा, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्स्थापन एवं नवीकरण और 30 एमएलडी न्यू एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी का निर्माण	728.25	614.51	01.06.2021	31-03-2036	15	40.97	...
(iv)	प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में नैनी (42 एमएलडी, फाफामऊ (14 एमएलडी) और झुंसी (18 एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अवरोधन, पथांतरण एवं सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा ट्रीटमेंट अवसंरचना का पुनर्स्थापन और 15 वर्षों तक परिचालन एवं अनुसंधान कार्य	1418.57	1239.99	01-01-2022	31-12-2037	15	82.67	...
(v)	कानपुर, उत्तर प्रदेश में उन्नाव (13 एमएलडी), शुक्लगंज (06 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा एसटीपी के एकीकरण के साथ-साथ पंखा में 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी	1263.08	1145.18	01-01-2022	31-12-2037	15	76.35	...
(vi)	10 एमएलडी बुधना एसटीपी परियोजनाएं	416.33	339.45	01-12-2022	31-11-2037	15	22.63	...
(vii)	52.5 एमएलडी मुजफ्फरनगर एसटीपी परियोजनाएं	183.44	155.02	01-03-2023	28-02-2038	15	10.33	...
(viii)	25 एमएलडी मुरादाबाद एसटीपी परियोजनाएं							
(ix)	कंकड़बाग, पटना (50 एमएलडी) और दिघा, पटना (100 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण और ट्रीटमेंट कार्य	1460.27	543.37	31-12-2022	30-11-2037	15	36.22	...
(x)	भागलपुर में 45 एमएलडी एसटीपी	623.06	504.07	01-01-2024	31-12-2039	15	33.60	...
(xi)	पश्चिम बंगाल में हावड़ा (65 एमएलडी), बाली (40 एमएलडी), बड़नगर एवं कमरहटी (60 एमएलडी) का अवरोधन, पथांतरण एवं ट्रीटमेंट कार्य	876.69	743.03	31-12-2022	30-11-2037	15	49.54	...
कुल- जल संसाधन, नदी विकस और गंगा संरक्षण मंत्रालय								
कुल जोड़		7496.70	5704.74				380.31	
		32076.80	84790.57				5393.84	41822.04

गृह कार्य मंत्रालय

1 करार समाप्त करने के लिए कारण बताओं नोटिस का उत्तर विचाराधीन है।

जल शक्ति मंत्रालय

- हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत परियोजनाओं के मूल्य में निर्माण के दौरान सूचीबद्ध पूंजी लागत का 40%, 60% शेष बकाए पर ब्याज और 15 वर्षों तक सूचीबद्ध परिचालन एवं अनुसंधान भुगतान शामिल है।
- वचनबद्ध कुल वार्षिकी में 15 वर्षों की वार्षिकी के रूप में भुगतान किया गया सूचीबद्ध पूंजीगत लागत का 60%, शेष बकाए पर ब्याज और परिचालन एवं अनुसंधान लागत शामिल है।
- उल्लिखित समानीकृत वार्षिकी में अंतर हो सकता है क्योंकि आरंभिक वर्षों के दौरान भुगतान की राशि अधिक होगी और 15 वर्षों की रियायती अवधि के अंतिम भाग में कम होगी।

टिप्पणी: मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथासूचित अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारी सूचित की गई है।

5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2020-2021 तथा 2021-2022 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

	वास्तविक 2019-2020	बजट अनुमान 2020-2021	संशोधित अनुमान 2020-2021	बजट अनुमान 2021-2022
1. ऋण	63180.29	57557.00	118813.00	86022.00
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	-20607.07	-15547.35	-29056.77	-43581.77
3. निवल विदेशी ऋण (1-2)	42573.22	42009.65	89756.23	42440.23
4. नकद अनुदान	367.97	400.00	671.00	637.00
5. वस्तु अनुदान सहायता	5.00	412.00	750.75	110.00
6. जोड़ (3+4+5)	42946.19	42821.65	91177.98	43187.23
7. ऋणों की वापसी-अदायगी	33890.91	37388.00	35234.00	40926.00
8. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (6-7)	9055.28	5433.65	55943.98	2261.23
9. ऋणों पर ब्याज अदायगी	9419.69	10178.00	9241.00	10617.00
10. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (8-9)	-364.41	-4744.35	46702.98	-8355.77

(₹ करोड़ में)

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(क) बहुपक्षीय स्रोत

1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

(क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- नार्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, केपसिटी आगमेन्टेशन आफ दि नेशनल वाटर-वेज-1 (जलमार्ग विकास) परियोजना, महाराष्ट्र प्रोजेक्ट आन क्लाइमेट रेजीलेन्ट एग्रीकल्चर, अटल भू जल योजना (एबीएचवाई) नेशनल ग्राउण्ड वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम टूवार्ड्स इलिमिनेशन आफ टयूबर क्यूलोसिस आदि।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब, भारत रियायती ऋणों के कार्यक्षेत्र से बाहर है। हमारे देश में निष्पादित की जा रही अधिकांश परियोजनाएं सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ परियोजनाएं हैं- नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश हार्टीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिहार ट्रान्सफार्थीटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-जीविका II और बिहार ग्रामीण सड़क परियोजना आदी,

2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेना शुरू किया गया था।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास और बिहार न्यू गंगा ब्रिज प्रोजेक्ट, विशाखापट्टनम, चेन्नै कार्यक्रम औद्योगिक गलियारा विकास तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं 'मध्य प्रदेश जिला कनेक्टिविटी क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम परियोजना-3', 'दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम'। कर्नाटक स्टेट हाइवेज इम्पूवमेंट III प्रोजेक्ट और मध्यप्रदेश इरिगेशन एफीसिएन्सी इम्पूवमेंट प्रोजेक्ट, आदि।

एडीबी विशेष तौर पर विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को गारंटीकृत राजकीय ऋण भी प्रदान करता है।

3. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी की सहायता से चलाई जा रही कुछ मुख्य चालू परियोजनाएं हैं: बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6-ए, पुणे मेट्रो रेल परियोजना तथा भारत मेट्रो रेल परियोजना-ए।

4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा आठ चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है। एडीबी सहायता से चल रही कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएं हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पूनर्संरचना परियोजना, मध्य प्रदेश प्रमुख के जिला सड़क-II परियोजना तथा मुंबई मेट्रो रेल परियोजना आदि।

5. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं:- आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना, बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-लाइन आर 6 और आंध्र प्रदेशी शहरी जल आपूर्ति सेप्टेज प्रबंधन सुधार आदि।

6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने 1979 से कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें आंध्र प्रदेश सुखा शमन परियोजना, पूर्वोत्तर-मिजोरम में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि खेती कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर-नागालैण्ड में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि खेती कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पूर्वोत्तर-नागालैण्ड में जलवायु अनुकूल उच्च भूमि कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करना शामिल है।

7. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में कार्य करना शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना 'पहुंच बढ़ाना और व्यापक देखभाल बढ़ाना', 'सपोर्ट सहायता और उपचार, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

(ख) द्विपक्षीय स्रोत

1. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बंगलुरु जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना', 'बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट (फेज I) (II), युमना कार्य योजना परियोजना (III) तमिलनाडु संचार प्रणाली सुधार परियोजना, बिहार राष्ट्रीय राजपथ सुधार परियोजना और बिहार राष्ट्रीय राजपथ सुधार परियोजना (चरण-2) आदि।

2. जर्मनी

जर्मनी संघीय गणराज्य 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, संपोषणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'चेन्नै जल उत्पादन और मांग प्रबंध परियोजनाएं', 'शूगटुंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', और हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंद्रा ट्रांसमिशन प्रणाली', गंगा बेसिन में पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता एवं पर्यावरण कार्यक्रम, सोलर पीवी पावर प्लांट सकरी (शिवाजी नगर) और टीएन-IV के प्रमुख शहरों में बस संदाओं का जलवायु अनुकूल आधुनिकीकरण आदि।

3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पूर्ववर्ती यूएसएसआर) के बीच विकास निगम साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणधीन हैं।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- देवथल चांजु और चांजु-III पन बिजली परियोजना, और बंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-II I, देवथल चांजु और चांजु-III पन बिजली परियोजना एचपी, कोची मेट्रो, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं तथा पुणे मेट्रो रेल परियोजनाएं आदि।

6. वर्ष 2020-21 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण प्रत्येक के सामने इंगित किए गए बकाया शेष के साथ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
अनुसूचित पुनः अदायगी			
I	मार्केट ऋणः		
1.	7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11-Apr-2021	55,522.43
2.	7.94 सरकारी स्टॉक, 2021	24-May-2021	42,555.00
3.	10.25 सरकारी स्टॉक, 2021	30-May-2021	13,213.32
4.	6.17% सरकारी स्टॉक, 2021	15-Jul-2021	34,169.94
5.	8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08-Nov-2021	75,300.45
6.	8.20% सरकारी स्टॉक, 2021	15-Feb-2022	49,966.88
7.	आईआईएनएसएससी		64.26
8.	कुल बाजार ऋण (1 से 7)		2,70,792.28
9.	II. भारत सरकार का विशेष बॉण्ड/प्रतिभूति		
10.	क. तेल विपणन कंपनियों को भारत सरकार की विशेष बॉण्ड		
11.	8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16-Oct-2021	5,000.00
12.	8.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	21-Nov-2021	5,000.00
13.	कुल भारत सरकार विशेष बॉण्ड		10,000.00
14.	ख. आईएफसीआई को भारत सरकार का विशेष बॉण्ड		
15.	9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30-Oct-2021	0.00
16.	कुल (15)		0.00
17.	सीपीएलआई विशेष प्रतिभूति		
18.	पीएलआई भारत सरकार विशेष एफआरबी, 2022	30-Mar-2022	7,000.00
19.	कुल (18)		7,000.00
20.	कुल विशेष प्रतिभूति (13+16+19)		17,000.00
22.	कुल अनुसूचित पुनः अदायगी (बाजार ऋण+भारत सरकार विशेष प्रतिभूति+परिपक्व ऋण) (8+20+21)		287792.28
12.	2021-22 के बकाया स्टॉक से 2020-21 की शेष अवधि के दौरान किए जाने वाले संभावित स्वीच		0.00
13.	पुनः भुगतान 2021-22 में किया जाएगा		287792.28
14.	सरकारी स्टॉक की स्वीचिंग/पुनर्खरीद के लिए प्रावधान		
	(i) प्रतिभूति स्वीचिंग के लिए प्रावधान	200000.00	
	(ii) सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीदी के लिए प्रावधान	0.00	
			200000.00
	कुल (11+12)		487792.28